इग्नू
जन जन का
विश्वविद्यालय

BECC-132

व्यष्टि-अर्थशास्त्र के सिद्धांत-II

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

विशेषज्ञ समिति

प्रो. इंद्राणी राय चौधरी
सह-आचार्य (अर्थशास्त्र)
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

प्रो. एस. के. सिंह
अवकाश प्राप्त आचार्य (अर्थशास्त्र)
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. जी. प्रधान
अवकाश प्राप्त आचार्य (अर्थशास्त्र)
इग्नू, नई दिल्ली

श्री आई.सी. धींगरा
अवकाश प्राप्त सहआचार्य
शहीद भगत सिंह कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली

डॉ. एस. पी. शर्मा
सह-आचार्य (अर्थशास्त्र)
श्याम लाल कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. बी. एस. बागला
अवकाश प्राप्त सह-आचार्य (अर्थशास्त्र)
पीजीडीएवी कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

श्रीमती नीति अरोड़ा
सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र)
माता सुंदरी कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

श्री सोगतो सेन
सह-आचार्य (अर्थशास्त्र)
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. नारायण प्रसाद
आचार्य (अर्थशास्त्र)
इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम संयोजक : प्रो. नारायण प्रसाद

पाठ्यक्रम निर्माण दल

खंड/ इकाई संख्या	विषय प्रवेश	इकाई लेखक एवं हिंदी अनुवादक
खंड 1	**बाज़ार संरचना**	
इकाई 1	पूर्ण प्रतियोगिता : फर्म एवं उद्योग के संतुलन	डॉ. एस. पी. शर्मा, सह-आचार्य (अर्थशास्त्र), श्याम लाल कॉलेज, दिल्ली **हिंदी अनुवादक** : डॉ. श्याम सुंदर सिंह चौहान, अवकाश प्राप्त सह-आचार्य (अर्थशास्त्र), राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिरसागंज, फिरोजाबाद
इकाई 2	एकाधिकार : कीमत एवं उत्पादन निर्णय	श्रीमती श्रुति जैन, सह-आचार्य (अर्थशास्त्र), माता सुंदरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली **हिंदी अनुवादक** : डॉ. श्याम सुंदर सिंह चौहान
इकाई 3	एकाधिकारिक प्रतियोगिता : कीमत एवं उत्पादन निर्णय	
इकाई 4	अल्पाधिकार : कीमत एवं उत्पादन निर्णय	
खंड 2	**साधन बाज़ार**	
इकाई 5	साधन बाज़ार : साधन कीमत निर्धारण	डॉ. नौसीन निजामी, सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र), पं. दीन दयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, अहमदाबाद **हिंदी अनुवादक** : डॉ. श्याम सुंदर सिंह चौहान
इकाई 6	श्रम बाज़ार	
इकाई 7	भूमि बाज़ार	
खंड 3	**आर्थिक क्षेम : बाज़ार की विफलता एवं राज्य की भूमिका**	
इकाई 8	आर्थिक क्षेम : पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आवंटनात्मक दक्षता	डॉ. एस. पी. शर्मा, सह-आचार्य (अर्थशास्त्र), श्याम लाल कॉलेज, दिल्ली **हिंदी अनुवादक** : डॉ. श्याम सुंदर सिंह चौहान
इकाई 9	बाज़ार तंत्र की दक्षता : बाज़ार की विफलता एवं राज्य की भूमिका	डॉ. ममता महर, पोस्ट डॉक्टरल फेलो वेल्यूचेन एवं न्यूट्रीशन कार्यक्रम, वर्ल्ड फिश, मलेशिया **हिंदी अनुवादक** : डॉ. श्याम सुंदर सिंह चौहान
खंड 4	**अंतर्राष्ट्रीय व्यापार**	
इकाई 10	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत	डॉ. राहुल चौधरी, कंसल्टेंट, इग्नू, नई दिल्ली **हिंदी अनुवादक** : डॉ. श्याम सुंदर सिंह चौहान
इकाई 11	विश्व व्यापार संगठन एवं भारत की व्यापार नीति	श्री विष्णु गुप्ता, सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र), पीजीडीएवी कॉलेज, नई दिल्ली **हिंदी अनुवादक** : डॉ. श्याम सुंदर सिंह चौहान

पाठ्यक्रम संपादक : प्रो. नारायण प्रसाद एवं श्री बी. एस. बागला

सामग्री निर्माण

कार्यालयी सहायक

श्री तिलक राज
सहायक कुल सचिव (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी.,इग्नू, नई दिल्ली

श्री यशपाल
अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी.,इग्नू, नई दिल्ली

सुश्री कामिनी डोगरा
आशुलिपिक, एसओएसएस,
इग्नू, नई दिल्ली

दिसम्बर, 2019

© *इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2019*

ISBN : 978-93-89200-05-8

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के किसी भी अंश को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफी (चक्र मुद्रण) द्वारा अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी नई दिल्ली–110068 से अथवा इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव, सामग्री निर्माण एवं वितरण प्रभाव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेट– ग्राफिक प्रिंटर्स, मयूर विहार फेस 1, दिल्ली – 110091

मुद्रक : मैसर्स डी० के० प्रिंटर्स, 5/37 ए, कीर्ति नगर, इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली – 110015 द्वारा मुद्रित।

विषय वस्तु

खंड/इकाई	विषय प्रवेश	पृष्ठ संख्या
खंड 1	**बाज़ार संरचना**	
इकाई 1	पूर्ण प्रतियोगिता : फर्म और उद्योग के संतुलन	7
इकाई 2	एकाधिकार : कीमत एवं उत्पादन निर्णय	27
इकाई 3	एकाधिकारिक प्रतियोगिता : कीमत एवं उत्पादन निर्णय	50
इकाई 4	अल्पाधिकार : कीमत एवं उत्पादन निर्णय	68
खंड 2	**साधन बाज़ार**	
इकाई 5	साधन बाज़ार : साधन कीमत निर्धारण	95
इकाई 6	श्रम बाज़ार	110
इकाई 7	भूमि बाज़ार	123
खंड 3	**आर्थिक क्षेम : बाज़ार की विफलता एवं राज्य की भूमिका**	
इकाई 8	आर्थिक क्षेम : पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आवंटनात्मक दक्षता	137
इकाई 9	बाजार तंत्र की दक्षता : बाजार की विफलता एवं राज्य की भूमिका	151
खंड 4	**अंतर्राष्ट्रीय व्यापार**	
इकाई 10	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत	165
इकाई 11	विश्व व्यापार संगठन एवं भारत की व्यापार नीति	176
शब्दावली		189
कुछ उपयोगी पुस्तकें		195

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत-II : परिचय

अर्थशास्त्र एक प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक विषय है। इस विषय का सैद्धांतिक ज्ञान विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं को इस प्रकार के निर्णय लेने में मदद करता है : किन वस्तुओं का उत्पादन करना है? वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार करना है? उत्पादन में किन तकनीकों का प्रयोग करना है? उत्पादन प्रक्रिया में किन कारकों का तथा किन संयोगों में प्रयोग करना है? उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय संबंधी निर्णय किस प्रकार लेते हैं तथा उनके चयन संबंधी निर्णय कीमतों एवं आय में हुए परिवर्तनों से किस प्रकार प्रभावित होते हैं? फर्म कैसे तय करती है कि कितने श्रमिकों को काम पर लगाया जाय और श्रमिक कैसे यह तय करते हैं कि कहाँ उन्हें कार्य करना है और कब तक करना है? दूसरे शब्दों में, अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र राज्य की क्रियाओं के वित्तीयन से बढ़कर आम व्यक्ति के दैनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करने तक पहुँच गया है।

आज अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में बहुत-सी गतिविधियाँ सम्मिलित हो गयी हैं। इन गतिविधियों में शामिल हैं– (क) उपभोक्ता का व्यवहार या चयन प्रक्रिया; (ख) उत्पादक का व्यवहार अथवा उत्पादन क्रिया का आयोजन एवं संचालन किस प्रकार किया जाता है? (ग) बाजारों के विविध रूप कौन कौन से हैं? इसमें लागत फलन तथा बाज़ार संगठनों के विविध रूपों की क्या विशेष भूमिका होती है? (घ) विभिन्न व्यक्ति अपने-अपने स्वामित्व वाले साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में किस प्रकार अपना योगदान देते हैं? (ङ) उत्पादन दक्षताओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं? (च) किन परिस्थितियों के तहत बाज़ार विफल होते हैं और राज्य इन परिस्थितियों में किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत-II नामक यह पाठ्यक्रम उपरोक्त ग से च तक से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जानकारी प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम चार खंडों में विभाजित है।

खंड 1 बाज़ार के विभिन्न रूपों जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता तथा अल्पाधिकार पर प्रकाश डालता है। इस खंड में चार इकाइयाँ हैं। पूर्ण प्रतियोगिता : फर्म एवं उद्योग के संतुलन नामक **पहली इकाई** पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इस बाज़ार के तहत फर्म एवं उद्योग के संतुलन की व्याख्या करती है। **इकाई 2** जिसका शीर्षक **एकाधिकार : कीमत एवं उत्पादन निर्णय** है, के अंतर्गत एकाधिकार बाज़ार के कीमत विभेद की चर्चा की गई है। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के तहत संतुलन की शर्तें, अतिरेक क्षमता का सिद्धांत तथा विभिन्न बाज़ार रूपों की तुलना **इकाई 3** में की गई है। अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण **इकाई 4** में प्रदान किया गया है।

खंड 2 उत्पादन साधनों की कीमत निर्धारण पर प्रकाश डालता है। इसमें तीन इकाइयाँ हैं। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की चर्चा करते हुए **इकाई 5** लगान एवं मज़दूरी किस प्रकार निर्धारित होते हैं पर एक विहंगम दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसमें ब्याज एवं लाभ के सिद्धांतों की भी संक्षेप में चर्चा की गई है। **इकाई 6** पूर्ण प्रतियोगी एवं अपूर्ण प्रतियोगी श्रम बाज़ार के तहत मज़दूरी निर्धारण में मांग एवं आपूर्ति प्रक्रियाओं से आपका परिचय कराती है। साथ ही श्रम संघों की भूमिका एवं मज़दूरी विभिन्नताओं का विश्लेषण भी इस इकाई में शामिल किया गया है। **इकाई 7** उत्पत्ति के साधन के रूप में भूमि की विशिष्टताएँ एवं लगान के विभिन्न सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है।

खंड 3 में आर्थिक क्षेम : बाज़ार की विफलता एवं राज्य की भूमिका को शामिल किया गया है। इस खंड में 2 इकाइयाँ हैं– **इकाई 8** छात्रों को पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार के तहत

कार्यक्षमताओं के विविध रूपों से परिचय कराती है और साथ ही यह भी स्पष्ट करती है कि पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार की मान्यताओं से दूरी किस प्रकार के परिणाम देती है। **इकाई 9** उन विभिन्न परिस्थितियों की ओर इंगित करती है जहाँ बाज़ार विफल हो जाते हैं और इसी कारण राज्य को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होता है।

खंड 4 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों को सम्मिलित किया गया है। इस खंड में दो इकाइयाँ हैं– **इकाई** 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विविध सिद्धांतों पर एक विहंगम दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। **इकाई 11** वाणिज्य नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन से जुड़े विविध मुद्दों की व्याख्या प्रस्तुत करती है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

खंड 4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

खंड 4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

खंड 4 प्रमुखता से दो मुद्दों पर प्रकाश डालता है– (i) दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच व्यापार क्यों होता है, (ii) विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? इन विशेषताओं ने भारत की व्यापार नीति को किस प्रकार प्रभावित किया है? इस खंड में दो इकाइयाँ हैं–

इकाई 10 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों से परिचय कराया गया है। **इकाई 11** में व्यापार नीति एवं विश्व व्यापार से जुड़े विविध मुद्दों पर चर्चा की गई है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत

संरचना

10.0 उद्देश्य

10.1 विषय प्रवेश

10.2 वाणिज्यवाद का सिद्धांत

10.3 निरपेक्ष लाभ सिद्धांत

10.4 तुलनात्मक लाभ सिद्धांत

10.5 हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत

10.6 सार-संक्षेप

10.7 संदर्भ ग्रंथादि

10.8 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

10.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरांत, आप सक्षम होंगे :

- देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेद कर पाने में;
- दो देशों द्वारा आपस में व्यापार क्यों होता है; इसकी विवेचना कर पाने में;
- निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की व्याख्या कर पाने में;
- तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या कर पाने में;
- निरपेक्ष लाभ सिद्धांत एवं तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के बीच अंतर व्यक्त कर पाने में; और
- हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत की विवेचना कर पाने में।

10.1 विषय प्रवेश

व्यापार का सरल सा कारण यह है कि प्रत्येक देश सब कुछ उत्पादित नहीं कर सकता। फिर भी यदि वे X एवं Y जैसी दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं; क्या तब भी व्यापार करना दोनों देशों के हित में हो सकता है?

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बुनियादी तौर पर यह माना कि कोई एक देश किसी अन्य देश के साथ व्यापार तभी करेगा जब व्यापार के साझेदार देशों A तथा B में X और Y वस्तुओं की उत्पादन लागतों में अंतर हो। यदि A देश X वस्तु को B देश की तुलना में कम लागत पर उत्पादित कर सकता है तथा B देश Y वस्तु को A देश की तुलना में कम लागत पर उत्पादित कर सकता है तो यह दोनों देशों के हित में होगा कि वे वही वस्तु उत्पादित करें जिसका उत्पादन दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर कर सकते हैं तथा दूसरे देश से उस वस्तु का आयात करें जो वहाँ कम लागत पर उत्पादित की जा रही है और घरेलू स्तर पर जिसकी उत्पादन लागत अधिक है। इस प्रकार A तथा B दोनों ही देश उत्पादन की नीची लागतों से लाभान्वित होंगे। वर्तमान इकाई में उत्पादन की नीची लागत के दो स्वरूपों की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है।

भाग 10.3 में निरपेक्ष लाभ के विचार को तथा भाग 10.4 में सापेक्षिक (तुलनात्मक) लाभ के विचार को समझाया गया है। एडम स्मिथ तथा डेविड रिकार्डो दोनों ने ही व्यापार साझीदार दोनों ही देशों की एक-एक वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टता स्वीकार की है। लेकिन हमने पाया है कि ये दोनों ही प्रतिष्ठित सिद्धांत (श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित) अभी भी कुछ व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ही सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित हैं कि व्यापार के साझीदार दोनों ही देशों के उत्पादन का ''आकार'' एक जैसा है तथा मांग प्रतिरूप भी एकसमान है। उस अवस्था में क्या होता यदि दोनों देशों में साधनों की उपलब्धता तथा भंडार अलग-अलग होता? एक के पास श्रमाधिक्य होता तथा दूसरे के पास पूँजी आधिक्य की स्थिति होती?

एक जैसे माँग/उपभोग अधिमानों एवं प्रौद्योगिकी तक एकसमान पहुँच होने पर भी दोनों समाजों को अलग-अलग उत्पादन प्रतिरूप चयन करने होंगे। ऐसा व्यवहार, व्यापार प्रारंभ होने पर, अलग-अलग परिस्थितियाँ तथा अवसर उत्पन्न करता है। भाग 10.5 में हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत ऐसी ही परिस्थिति का विश्लेषण करता है। हमने विश्लेषण को सरल ही रखा है और व्यापार उत्पादन एवं उपभोग की पूर्व एवं पश्च परिस्थितियों को साथ लाकर विश्लेषण को सुगम बनाया है। साथ ही साधन कीमत अनुपातों के समानीकरण का भी विश्लेषण किया है।

यह सिद्धांत आकार में बड़े अंतर वाले देशों, जैसे कि भारत एवं भूटान, के बीच व्यापार के लिए भी संभावनाएं छोड़ता है। छोटी अर्थव्यवस्था में पूर्ण विशिष्टीकरण हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा व्यापार साझीदार किसी ऐसे उद्योग को भी चलाए रख सकता है जो आयात से प्रतिस्पर्धी हो ताकि उसकी कुल घरेलू माँग को पूरा किया जा सके।

10.2 वाणिज्यवाद का सिद्धांत

वाणिज्यवाद आज से लगभग 500 वर्ष साल पुरानी बौद्धिक विचारधारा है। ''वाणिज्यिक क्रांति'' इस सिद्धांत का आधार था। इस काल में स्थानीय अर्थव्यवस्थाएँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, सामंतवाद पूँजीवाद में, अपरिपक्व एवं आधारभूत व्यापार एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रूपांतरित हो रहा था। वाणिज्यवाद का सिद्धांत बताता है कि देश को निर्यातों को बढ़ाना चाहिए तथा आयातों को हतोत्साहित करना चाहिए। अधिकाधिक मात्रा में निर्यात करना तथा कम से कम मात्रा में आयात करना तथा विनिमय में अधिकाधिक सोना प्राप्त करना (क्योंकि उस काल में सोना ही विनिमय का माध्यम था) ही वाणिज्यवाद कहलाता है। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक विश्व के सभी बड़े देशों की आर्थिक प्रणाली वाणिज्यवादी ही थी। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राष्ट्रीय संपदा एवं शक्ति निर्यातों को बढ़ाकर स्वर्ण जैसी बहुमूल्य धातुएं संग्रहीत करने में ही निहित है। सिद्धांत बताता है कि सरकार को निर्यातों में वृद्धि करने के लिए सब्सिडी तथा आयातों को कम करने के लिए करों को प्रयुक्त करते हुए अर्थव्यवस्था के विनियमन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। सरकार को अधिकाधिक मात्रा में स्वर्ण संचित करना चाहिए और यह केवल निर्यातों के द्वारा ही संभव है।

बोध प्रश्न 1

1) घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेद कीजिए।

....

....

....

2) वाणिज्यवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

....

....

....

10.3 निरपेक्ष लाभ सिद्धांत

वाणिज्यवाद के बाद से ही राष्ट्रों के बीच व्यापार की व्याख्या करने वाले अनेक सिद्धांत विकसित किए गए। इनमें से कुछ सिद्धांत तो 200 साल से भी अधिक पुराने हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधारभूत सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा 1776 में प्रतिपादित किया गया था। एडम स्मिथ ने अपनी कालजयी पुस्तक ''एन एनक्वायरी इन टू दी नेचर एंड कॉज़ेज ऑफ दी वेल्थ ऑफ नेशंस'' में सर्वप्रथम सैद्धांतिक व्याख्या प्रस्तुत कीः दो राष्ट्रों के बीच व्यापार क्यों उत्पन्न होता है?

एडम स्मिथ ने अपनी उक्त पुस्तक में निरेपक्ष लाभ सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा कि देश को केवल उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता हासिल करनी चाहिए जिसका उत्पादन दक्षतापूर्वक कर सकता है, जहाँ दक्षता निरपेक्ष श्रम लागतों के रूप में मापी जाती है। यह सिद्धांत मान कर चलता है कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र कारक है। उस काल में श्रम को ही उत्पादन का एकमात्र कारक माना जाता था। वस्तुओं की कीमतें, इन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त श्रम के मूल्य के रूप में मापी जाती थी।

एडम स्मिथ ने 'वेल्थ ऑफ नेशंस' में लिखा है, ''यदि कोई देश हमारे द्वारा उत्पादित वस्तु की सस्ते में आपूर्ति कर सकता है तो उसे हमारे द्वारा उत्पादित किसी अन्य वस्तु, जिसके उत्पादन में हमें कुछ लाभ हासिल है, के कुछ हिस्से के बदले खरीद देना बेहतर होगा।''

स्मिथ के अनुसार दो राष्ट्रों के बीच व्यापार निरपेक्ष लागत में लाभ पर आधारित है। जब कोई देश किसी एक वस्तु के उत्पादन में अन्य देश की तुलना में अधिक दक्ष है (या उसे निरपेक्ष लाभ प्राप्त है) तथा उस देश द्वारा उत्पादित किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में कम दक्ष है (या निपरेक्ष रूप से अलाभकारी स्थिति में है) तो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिसके उत्पादन में उन्हें दक्षता हासिल है। निरपेक्ष लाभ वाली वस्तु का विनिमय उस देश द्वारा उत्पादित वस्तु से करना चाहिए जिसके उत्पादन में उस दूसरे देश को निरपेक्ष लाभ हासिल है। इस प्रक्रिया में संसाधनों का उपयोग दक्षतापूर्ण तरीके से होता है तथा दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। उत्पादन में हासिल विशिष्टीकरण से इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि को दोनों देशों के बीच व्यापार के माध्यम से आपस में बाँटे जाने के योग्य लाभों का माप माना गया है।

सरल शब्दों में, उन्होंने बताया कि व्यापार उस दशा में दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा जब देश A उसी वस्तु का निर्यात करता है, जिसे वह B देश की तुलना में कम लागत पर उत्पादित कर सकता है तथा उस वस्तु का आयात देश B से करता है जिसे देश B कम लागत पर उत्पादित कर सकता है।

सिद्धांत की उपर्युक्त व्याख्या निम्नलिखित उदाहरण से बेहतर ढंग से समझी जा सकती है। माना कि A तथा B दो देश है जो संसाधनों की एकसमान मात्रा जैसे कि 200 श्रमिकों से, गेहूँ एवं चावल का उत्पादन करते हैं। A देश 10 श्रमिकों से 1 टन गेहूँ तथा 20 श्रमिकों से 1 टन चावल उत्पादित कर सकता है। B देश 1 टन गेहूँ उत्पादित करने के लिए 25 श्रमिकों को प्रयुक्त करता है जबकि 1 टन चावल उत्पादित करने के लिए 5 श्रमिकों को ही प्रयुक्त किया जाता है।

तालिका 10.1 : गेहूँ एवं चावल की एक-एक टन मात्रा उत्पादित करने के लिए दो देशों द्वारा प्रयुक्त श्रमिकों की संख्या

	A देश द्वारा लगाए गए श्रमिकों की संख्या	B देश द्वारा लगाए गए श्रमिकों की संख्या
गेहूँ	10	25
चावल	20	5

तालिका 10.1 से स्पष्ट है कि A देश को गेहूँ के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है क्योंकि वह B देश की तुलना में कम श्रमिक लगाकर 1 टन गेहूँ का उत्पादन कर सकने में सक्षम है। दूसरी ओर B देश को चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है क्योंकि वह A देश की तुलना में कम श्रमिक लगाकर 1 टन चावल का उत्पादन कर सकता है। अब, यदि दोनों देशों के बीच कोई व्यापार नहीं होता तो संसाधन (इस मामले में 200 श्रमिक) समान रूप से गेहूँ एवं चावल का उत्पादन करने के लिए लगाए जाते हैं तो A देश 10 टन गेहूँ (100/10) तथा 5 टन चावल (100/20) और B देश चार टन गेहूँ (100/25) एवं 20 टन चावल (100/5) का उत्पादन कर पाएगा। इस प्रकार दोनों देशों के बीच व्यापार में होने पर कुल उत्पादन 39 टन (14 टन गेहू एवं 25 टन चावल) होगा।

तालिका 10.2 : दो देशों के बीच व्यापार न होने पर गेहूँ एवं चावल की उत्पादित मात्रा

	देश A	देश B
गेहूँ	10	4
चावल	5	20

अब, यदि दोनों देश एक-एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता हासिल कर एक-दूसरे के साथ व्यापार करने लगते हैं तो क्या स्थिति होगी? विशिष्टता उसी वस्तु के उत्पादन में हासिल की जाती है जिसके उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। इस अवस्था में कुल उत्पादन पहली दशा (व्यापार न होने की) की तुलना में अधिक होगा। A देश 200 श्रमिकों से 20 टन गेहूँ तथा B देश इतने ही श्रमिकों से 40 टन चावल उत्पादित करेगा। इस प्रकार कुल उत्पादन 60 टन (20 टन गेहूँ + 40 टन चावल) होगा।

तालिका 10.3 : दो देशों के बीच व्यापार होने पर गेहूँ एवं चावल का उत्पादन

	देश A	देश B
गेहूँ	20	0
चावल	0	40

ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि विशिष्टीकरण न होने पर जहाँ कुल उत्पादन 39 टन था, वहीं विशिष्टीकरण और तद्नुसार व्यापार करने पर कुल उत्पादन 60 टन है। यह व्यापार से हुआ क्षेत्र लाभ है। इसलिए निरपेक्ष लाभ का सिंद्धात दर्शाता है कि निरपेक्ष लाभ अंतरों पर आधारित व्यापार का प्रतिरूप दोनों देशों के लिए लाभकारी है।

10.4 तुलनात्मक लाभ सिद्धांत

एडम स्मिथ के विद्यार्थी डेविड रिकार्डो ने 1817 में अपनी पुस्तक 'प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटीकल इकोनोमी एंड टैक्सेशन' में निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। इस पुस्तक में रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अनेक व्यावहारिक अनुप्रयोगों के साथ यह सिद्धांत अभी भी अर्थशास्त्र के गैर-चुनौतीपूर्ण

सिद्धांतों में से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है। रिकार्डो का सिद्धांत बताता है कि व्यापार उस अवस्था में भी दोनों देशों के लिए लाभकारी हो सकता है यदि किसी एक देश को सभी वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो तथा दूसरे देश को किसी भी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त न हो। रिकार्डो का तर्क था, ''... एक व्यक्ति की तरह, एक राष्ट्र उत्पादकता में अधिकतम तुलनात्मक लाभ वाली वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करके तथा सबसे कम तुलनात्मक लाभ वाली वस्तुओं का आयात करके व्यापार में लाभ उठाता है।'' पहला देश उस अवस्था में बेहतर स्थिति में होगा यदि वह निरपेक्ष रूप से सबसे कम अलाभकारी वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता हासिल करके उनका निर्यात करे। (यह वही वस्तु है जिसमें तुलनात्मक रूप से लाभ प्राप्त है) तथा ऐसी वस्तु का दूसरे देश से आयात करे जिसमें निरपेक्ष अलाभ अधिक है (यह वही वस्तु है जिसमें तुलनात्मक अलाभ प्राप्त है)।

यह सिद्धांत भी इस मान्यता पर आधारित है कि दोनों ही देशों में श्रम ही उत्पत्ति का एकमात्र साधन है, परिवहन लागत शून्य है तथा दोनों देशों के बीच व्यापार में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं है। इस सिद्धांत को तालिका 10.4 में दिए गए उदाहरण से अधिक बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

माना कि A तथा B देश उत्पत्ति के एकमात्र साधन श्रम से गेहूँ एवं चावल का उत्पादन करते हैं। यह भी माना कि दोनों देशों के पास 200 श्रमिक हैं जिसमें से 100 श्रमिक गेहूँ तथा 100 श्रमिक चावल का उत्पादन करते हैं।

तालिका 10.4 : A तथा B देश गेहूँ एवं चावल का उत्पादन

	देश A	**देश B**
गेहूँ	20	15
चावल	40	10

तालिका 10.4 से ज्ञात हो रहा है कि 100 श्रम लगाकर A देश गेहूँ की 20 इकाइयाँ तथा B देश 15 इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है। इसी के साथ-साथ अतिरिक्त 100 श्रमिकों से A देश चावल की 40 इकाइयाँ तथा B देश 10 इकाइयाँ ही उत्पादित कर पाता है।

इस प्रकार, A देश को गेहूँ एवं चावल दोनों के ही उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। उत्पादन हेतु प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में श्रम की 100–100 इकाइयाँ लगाकर A देश गेहूँ की तुलना में चावल की अधिक इकाइयाँ उत्पादित कर पाने की स्थिति में है। इसका अर्थ यह हुआ है कि A देश को चावल का उत्पादन करने में तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त है। इसी प्रकार B देश प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के श्रम की 100–100 इकाइयाँ लगाकर चावल के उत्पादन की तुलना में गेहूँ के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ की स्थिति में है।

उदाहरणार्थ, A देश 150 श्रमिकों को लगाकर चावल की 60 इकाइयाँ उत्पादित करने का निर्णय लेता है। तथा गेहूँ की 10 इकाइयाँ उत्पादित करने के लिए 50 श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है। दूसरी ओर, B देश सभी 200 श्रमिकों को काम पर लगाकर गेहूँ की 30 इकाइयों का उत्पादन करता है तथा चावल पैदा करना बंद कर देता है (तालिका 10.5)। इस स्थिति में देश A चावल की 14 इकाइयों के बदले देश B से गेहूँ की 14 इकाइयाँ आयात कर लेता है (तालिका 10.6)।

तालिका 10.6 से स्पष्ट है कि व्यापार होने पर दोनों ही देश लाभ की स्थिति में है। व्यापार में विशिष्टता से पूर्व A देश को गेहूँ की 20 तथा चावल की 40 इकाइयाँ ही प्राप्त होती थी। व्यापार के बाद A देश को गेहूँ की 24 तथा चावल की 46 इकाइयाँ प्राप्त हो रही हैं।

तालिका 10.5 : विशिष्टीकरण के बाद उत्पादन

	देश A	देश B
गेहूँ	10	3
चावल	60	0

तालिका 10.6 : दोनों देशों के बीच व्यापार होने पर

	देश A	देश B
गेहूँ	24	16
चावल	46	14

व्यापार होने से पूर्व B देश को गेहूँ की 15 इकाइयाँ तथा चावल की 10 इकाइयाँ प्राप्त हो पा रही थीं जबकि व्यापार होने पर गेहूँ की 16 इकाइयाँ तथा चावल की 14 इकाइयाँ प्राप्त हो रही हैं। इस प्रकार दोनों ही देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए तुलनात्मक लाभ सिद्धांत स्पष्ट करता है कि व्यापार दोनों सहभागी देशों के लिए लाभ उत्पन्न कर सकता है, भले ही निरपेक्ष रूप से किसी एक देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में लाभ प्राप्त हो।

बोध प्रश्न 2

1) निरपेक्ष लाभ सिद्धांत एवं तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए।

....

....

....

2) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एडम स्मिथ एवं रिकार्डो के सिद्धांतों में अंतर बताइए।

....

....

....

3) स्पष्ट कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रिकार्डो के सिद्धांत के संदर्भ में व्यापार से राष्ट्रों को किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है।

....

....

....

10.5 हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन बर्टिल ओहलिन द्वारा किया गया था। ओहलिन ने अपने विचारों को एली हेक्शन के सामान्य संतुलन विश्लेषण से ग्रहण किया। इसीलिए इस सिद्धांत को हेक्शर-ओहलिन (H-O) सिद्धांत कहा जाता है।

हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत उस बिंदु से प्रारंभ होता है जहाँ रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का अंत होता है। रिकार्डो का सिद्धांत बताता है कि लागतों में तुलनात्मक या सापेक्षिक अंतर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। लेकिन रिकार्डो यह स्पष्ट नहीं कर सके कि लागतों में तुलनात्मक अंतर किस प्रकार उत्पन्न होता है। ओहलिन का सिद्धांत इस अंतर के वास्तविक कारण को समझाता है।

ओहलिन ने बताया कि विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में अंतर के कारण व्यापार होता है। वस्तु की सापेक्षिक कीमत में अंतर विभिन्न देशों में सापेक्षिक लागतों और साधनों की कीमतों में अंतर के कारण होता है।

हेक्शन-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार, साधनों की कीमतों में अंतर विभिन्न देशों में उत्पत्ति के साधनों की उपलब्ध मात्राओं में अंतर के कारण होता है। इस प्रकार व्यापार के प्रतिरूप को सापेक्षिक साधन उलब्धता के रूप में समझाया गया है। जैसे कि किसी अर्थव्यवस्था में सापेक्षिक साधन आपूर्ति। इसलिए, ओहलिन के सिद्धांत को साधन उपलब्धता सिद्धांत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। ओहलिन के सिद्धांत को श्रम एवं पूँजी को उत्पत्ति के दो साधनों के साथ दो साधन मॉडल के रूप में व्यक्त किया गया है। व्यापार साधनों की उपलब्धता में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। कुछ देशों के पास पूँजी प्रचुरता में होती है तो कुछ अन्य देशों में श्रम अधिकता में पाया जाता है। हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत बताता है कि श्रम आधिक्य वाले देश श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करते हैं तथा पूँजी प्रधान देश पूँजी गहन वस्तुओं का निर्यात करते हैं।

हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है :

1) व्यापार में केवल दो देश A तथा B ही शामिल हैं;

2) श्रम एवं पूँजी, उत्पत्ति के दो साधन हैं;

3) X एवं Y केवल दो वस्तुओं का ही उत्पादन होता है? जिसमें से X श्रम प्रधान तथा Y पूँजी प्रधान वस्तु है;

4) देश A में श्रम अधिकता में है जबकि B देश में पूँजी की प्रधानता है;

5) दोनों ही देशों में वस्तु एवं साधन बाज़ारों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है;

6) सभी उत्पादन फलन प्रथम कोटि के सजातीय फलन हैं। इसलिए पैमाने के स्थिर प्रतिफल पाए जाते हैं;

7) कोई परिवहन लागतें नहीं हैं तथा वस्तुओं के व्यापार में किसी प्रकार की कोई बाधाएँ नहीं हैं, लेकिन साधनों में कोई गत्यात्मकता नहीं है; तथा

8) दोनों ही देशों में माँग की दशाएं एकसमान हैं।

तुलनात्मक कीमत लाभ या सापेक्षिक कीमत अंतरों को समझाने तथा साधन उपलब्धता सिद्धांत के प्रमुख तत्वों को ज्ञात करने के लिए ही इन मान्यताओं को माना गया है। इन मान्यताओं के आधार पर ओहलिन का सिद्धांत बताता है कि कोई देश उन्हीं वस्तुओं का निर्यात करता है जो उस देश में सापेक्षिक रूप से प्रचुरता में उपलब्ध साधन को अधिक गहनता से प्रयुक्त करके उत्पादित की जाती है (अर्थात् जो साधन सस्ता होता है)। यह मानकर चला जाता है कि साधनों की सापेक्षिक कीमतों के कारण वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में अंतर होने से व्यापार उत्पन्न होता है। (तुलनात्मक लाभ) ऐसा विभिन्न देशों में साधनों की उपलब्धता में अंतर के कारण होता है।

दो देशों, दो वस्तुओं एवं दो साधन मॉडल का निहितार्थ यह है कि पूँजी प्रचुरता वाला देश पूँजी गहन वस्तु का निर्यात करेगा तथा श्रम प्रचुरता वाला देश श्रम गहन वस्तु का निर्यात करेगा लेकिन किसी देश के किसी एक साधन में प्रचुरता तथा दूसरे साधन की अल्पता की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। अर्थशास्त्री प्रायः साधन प्रचुरता को साधन की कीमतों के रूप में परिभाषित करते हैं। ओहलिन ने स्वयं भी इसी उपागम को अपनाया है (वैकल्पिक रूप से साधन प्रचुरता को भौतिक रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है) उस दशा में पूँजी एवं श्रम की भौतिक मात्राओं की तुलना की जाती।

सापेक्षिक साधन प्रचुरता की कीमत कसौटी

कीमत कसौटी के अनुसार सस्ती पूँजी और महंगे श्रम वाले देश को पूँजी प्रधान माना जाता है– इस आकलन में देश में व्यापार के भागीदार के पास सुलभ पूँजी और श्रम की मात्राओं से तुलना नहीं की जाती। दूसरे शब्दों में यदि :

$$(P_K/P_L)_A < (P_K/P_L)_B$$

तो सापेक्षिक रूप से A देश पूँजी प्रधान है (यहाँ P साधन की कीमत, K पूँजी तथा L श्रम है) ओहलिन के सिद्धांत को चित्र 10.1 से सिद्ध किया जा सकता है।

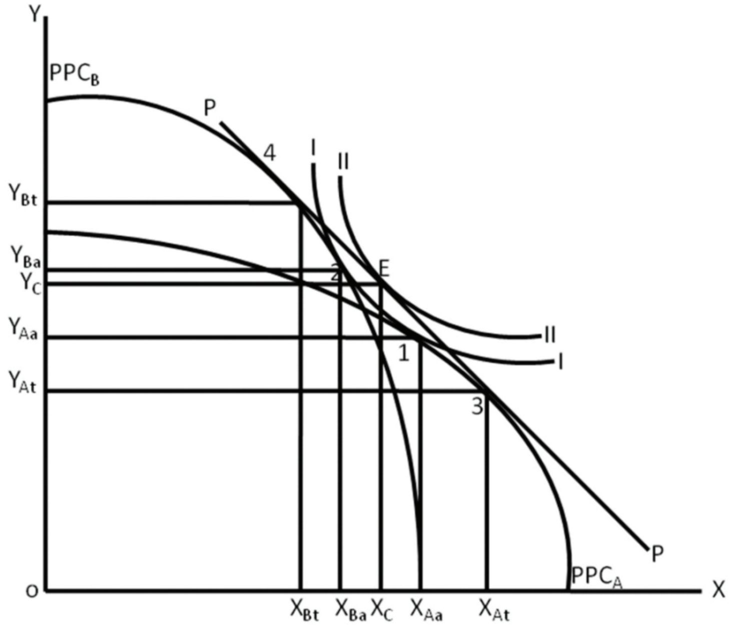

चित्र 10.1 : ओहलिन के सिद्धांत की व्याख्या

चित्र 10.1 में हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत के सार को व्यक्त किया गया है। हम अपनी व्याख्या इस स्तर से प्रारंभ करते हैं कि 'व्यापार नहीं' होने की दशा में A देश में श्रम प्रचुरता की स्थिति है। यह देश X एवं Y दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में श्रम को अधिक सघनता से प्रयुक्त करता है। PPC_A के बिंदु 1 पर यह (X_{Aa}, Y_{Aa}) मात्राओं का उत्पादन एवं उपभोग करते हुए समभाव वक्र I, I पर भी स्थित है।

B देश में पूँजी की प्रचुरता है इसलिए यह देश दोनों ही उद्योगों में पूँजी का प्रयोग अधिक सघनतापूर्वक करता है। यह PPC_B के बिंदु 2 पर (X_{Ba}, Y_{Ba}) मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करता है एवं समभाव वक्र I, I पर स्थित है। हम यहां यह भी मानकर चल रहे हैं कि दोनों देशों में एक जैसी प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त किया जा रहा है तथा एक ही समभाव वक्र पर अब स्थित होने का अर्थ है कि उनकी वरीयताएँ भी एकसमान हैं। आंतरिक कीमत अनुपात भिन्न हैं क्योंकि PPCs एवं समभाव वक्र I1 के ढाल स्पर्श बिंदु 1 एवं 2 पर अलग-अलग हैं।

यदि A और B के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हो जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा PP दोनों देशों को अपने-अपने उत्पाद तथा उपभोग निर्णयों को अनुकूलतम स्तर पर रखने में सहायक होगी। कीमत रेखा PP PPC_A को बिंदु 3 पर तथा PPC_B को बिंदु 4 पर स्पर्श करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापार होने की दशा में, A देश X_{At}, Y_{At} तथा B देश X_{Bt}, Y_{Bt} मात्राओं में से वस्तुएं उत्पादित करेगा।

उपभोग के अनुसार PP एवं उपभोग समभाव वक्र II का स्पर्श बिंदु E दोनों देशों के लिए एकसमान अधिमान व्यक्त करेगा।

ध्यान दें कि बिंदु E PPC_A तथा PPC_B दोनों के ही बाहर है, पहले दोनों में से कोई भी देश इस स्तर को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार प्रारंभ हो जाने पर A तथा B दोनों ही देश अपने PPC_s से बाहर के बिंदु पर पहुँच पाने की स्थिति में है।

अब, A देश X की अधिक मात्रा का उत्पादन करता है $X_{At} > X_{Aa}$, और ऐसा करने पर उसने Y के उत्पादन को घटा दिया है। $Y_{At} < Y_{Aa}$ । दूसरी ओर B देश ने Y के उत्पादन के बढ़ा दिया है, $Y_{Bt} > Y_{Ba}$ तथा X वस्तु के उत्पादन को घटा दिया है। $X_{Bt} < X_{Ba}$ लेकिन अब A देश X वस्तु की $X_{At} - X_C$ मात्रा का निर्यात B देश को कर रहा है तथा B देश से Y वस्तु की $Y_C - Y_{At}$ मात्रा का आयात कर रहा है। आप देख सकते हैं कि B देश ठीक इसका उल्टा कर रहा है।

हमें ज्ञात हो रहा है कि X_C तथा Y_C दोनों देशों के लिए उपभोग स्तर हैं जो एक समान अधिमान स्तर को व्यक्त करते हैं।

अब, हमने क्या पाया? उपर्युक्त विवेचना से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं :

i) व्यापार न होने की दशा में दोनों ही देशों में उनको उपलब्ध नैसर्गिक लाभ हो रहा था। वे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधन से अधिक सघनता के साथ दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे। इससे PPC_A वस्तु X के प्रति तथा PPC_B वस्तु Y के प्रति झुकी रुझान से ग्रस्त थी।

ii) घरेलू क्षेत्रों में उन देशों के वस्तु कीमत अनुपात अलग-अलग प्रकार के थे और वे दोनों साधनों के सीमांत आगम उत्पादों के अनुपात के अनुरूप थे। एकसमान प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त करने के बावजूद उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं X तथा Y की मात्राएं दोनों देशों में अलग-अलग थीं। तथा दोनों देशों में श्रम पूँजी अनुपात भी अलग-अलग थे।

iii) दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हो जाने पर उन्होंने अपने-अपने उपलब्धता आधारित नैसर्गिक लाभों को आगे बढ़ाया। A ने X उद्योग के विस्तार को आसान माना जबकि B ने Y उद्योग को विस्तार किया, तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा PP के दिए हुए ढाल के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात के प्राकट्य के संदर्भ में अपने-अपने उत्पादन का अनुकूलतम स्तर पर रखा।

iv) इस अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात ने उन देशों के लिए व्यापार से पूर्व उत्पादित मात्राओं से इतर उपभोग स्तर को प्राप्त करना संभव बनाया।

v) ध्यान दें कि सामूहिक उपभोग स्तर का बिंदु E एक ऊँचे समभाव वक्र II, II पर स्थित है।

इसका निहितार्थ यह है कि व्यापार के दोनों साझीदार व्यापार न होने की दशा की तुलना में अब बेहतर स्थिति में है। यह व्यापार के लाभों का साक्ष्य है।

हेक्शर-ओहलिन के मॉडल में रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का परिमार्जन ही हुआ है। इसी प्रकार हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत को पॉल सैम्युल्सन द्वारा विस्तार प्रदान किया गया है। हैक्शर-ओहलिन विभिन्न देशों में विभन्न वस्तुओं की कीमतों के सापेक्षिक अंतर होने के कारण व्यापार उत्पन्न होने की बात को स्वीकार करता है जबकि हेक्शर-ओहलिन-सैम्युल्सन मॉडल बताता है कि देशों के बीच वस्तुओं का मुक्त आयात-निर्यात किस तरह साधन कीमतों में समानीकरण लाता है।

H-O-S मॉडल में चार प्रमुख प्रमेय हैं।

1) हेक्शर-ओहलिन प्रमेय

2) स्टोप्लर-सैम्युल्सन प्रमेय

3) साधन कीमत समानीकरण प्रमेय

4) रिवज़िन्सकी प्रमेय

यहाँ हम प्रमेय 2 एवं 4 की विवेचना नहीं कर रहे हैं। इसकी विस्तृत विवेचना अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के उच्च अध्ययन के लिए छोड़ दी गयी है।

बोध प्रश्न 3

1) हेक्शन-ओहलिन सिद्धांत की पाँच प्रमुख मान्यताओं को बताइए।

....

....

....

2) सापेक्षिक साधन प्रचुरता की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं?

....

....

....

3) हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत का विस्तार क्या है?

....

....

....

10.6 सार-संक्षेप

इस इकाई के अध्ययन में आपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जाना। हमने अपना विश्लेषण वाणिज्यवाद के साथ प्रारंभ किया। उसी क्रम में एडम स्मिथ द्वारा 1776 में प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की विवेचना की। इसके उपरांत एडम स्मिथ के शिष्य डेविड रिकार्डो द्वारा 1817 में प्रतिपादित तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। हमने जाना कि निरपेक्ष लाभ सिद्धांत तथा तुलनात्मक लाभ सिद्धांत दोनों में ही श्रम को उत्पादन का एकमात्र साधन मानते हैं। उसके बाद हमने हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत की विवेचना की। वर्टिल ओहलिन ने अपने विचार एली हेक्शन के सामान्य संतुलन विश्लेषण से प्राप्त किए थे। इसलिए इसे हेक्शन-ओहलिन सिद्धांत कहा जाता है। विशिष्टीकरण एवं व्यापार की दिशा के निर्धारण के लिए व्यापार के साझेदार देशों में सापेक्षिक साधन उपलब्धता पर आधारित हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है। इस इकाई में इस सिद्धांत के आगे के विस्तार का भी उल्लेख किया गया है।

10.7 संदर्भ ग्रंथादि

1) Sodersten, B. 1980. *International Economics*, Macmillan London.

2) Sodersten, B. and Reed, G. 1994. *International Economics*, 3rd Ed., Macmillan London.

3) Salvatore, D. John 2004. *International Economics*, 8th Ed., Wiley and Sons, Inc. New Jersey.

4) Krugman, Paul R. and Maurice Obstfeld, 1997. *International Economics: Theory and Policy*, 4th Ed., Addison-Wesley, Massachusetts, USA.

10.8 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) भाग 10.1 पढ़ें एवं उत्तर दें।

2) भाग 10.2 पढ़ें एवं उत्तर दें।

बोध प्रश्न 2

1) भाग 10.3 एवं 10.4 पढ़ें एवं उत्तर दें।

2) भाग 10.3 और 10.4 पढ़ें एवं उत्तर दें।

3) भाग 10.4 पढ़ें एवं उत्तर दें।

बोध प्रश्न 3

1) भाग 10.5 पढ़ें एवं उत्तर दें।

2) भाग 10.5 पढ़ें एवं उत्तर दें।

3) भाग 10.5 पढ़ें एवं उत्तर दें।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 11 विश्व व्यापार संगठन एवं भारत की व्यापार नीति

संरचना

11.0 उद्देश्य

11.1 विषय प्रवेश

11.2 विश्व व्यापार संगठन का उद्‌भव

11.3 विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य

11.4 विश्व व्यापार संगठन का ढाँचा

11.5 व्यापार समझौते

11.5.1 सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS)

11.5.1.1 गैट्‌स के सामान्य सिद्धांत

11.5.2 व्यापार संबद्ध निवेश उपाय (TRIMs)

11.5.3 कृषि पर समझौता

11.5.4 वस्त्र एवं परिधान व्यापार

11.5.5 व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPs)

11.5.6 विवादों का निपटारा

11.6 विश्व व्यापार संगठन और भारत

11.7 सार-संक्षेप

11.8 संदर्भ ग्रंथादि

11.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

11.0 पाठान्त प्रश्न

11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययनोपरांत, आप सक्षम होंगे:

- यह उत्तर देने में कि विश्व व्यापार संगठन क्या है?
- 'प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता' से विश्व व्यापार संगठन के क्रमिक विकास को समझ पाने में;
- विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत विभिन्न समझौतों की व्याख्या कर पाने में; और
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभावों को चिन्हित कर पाने में।

11.1 विषय प्रवेश

विश्व व्यापार संगठन एक मात्र ऐसा वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों को बनाकर सारे विश्व में वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है। इसकी स्थापना 'प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते' के अंतर्गत 8वें चक्र की उरुग्वे वार्ताओं के बाद प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के स्थान पर 1 जनवरी, 1995 को की गयी। एक वैश्विक संगठन के रूप में इसके 164

सदस्य हैं तथा 22 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है (अफगानिस्तान इसका नवीनतम सदस्य है जो 164वें सदस्य के रूप में इसका सदस्य बना है)। इसकी स्थापना मुख्य रूप से प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता के लक्ष्यों की भाँति ही की गयी है। लेकिन इसे अपने पूर्ववर्ती निकाय की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वस्तु एवं सेवाओं का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय निवेश तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के मामलों में इसे नए नियम बनाने और उन्हें लागू करवाने में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक दायित्व निभाने होते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य व्यापार में वृद्धि द्वारा वैश्विक आय में वृद्धि करते हुए सदस्य देशों के समृद्धि स्तरों का उन्नयन करना है।

11.2 विश्व व्यापार संगठन का उद्भव

ब्रेटन वुडस सम्मेलन, अधिकृत रूप से संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, 1 जुलाई से 22 जुलाई, 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधि ब्रेटन वुडस में एकत्रित हुए थे। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से तीन निकायों की स्थापना का निर्णय लिया गया था –

1) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

2) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है।

3) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक दिसंबर, 1947 में अस्तित्व में आ गए लेकिन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन स्थापित नहीं हो सका क्योंकि इसके चार्टर को संयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता 1947 में जिनेवा में अस्तित्व में आ पाया। भारत सहित विश्व के 23 देश इस संगठन (GATT) के संस्थापक सदस्य थे। गैट कोई अधिकृत संगठन नहीं था जो अपने निर्णयों को लागू करा सके। यह इसमें शामिल देशों के बीच एक समझौता था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न थे।

गैट का मुख्य ध्येय विश्व व्यापार से प्रशुल्कों को कम करना तथा व्यापार की गैर-प्रशुल्कीय बाधाओं को हटाना एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं तथा भेदभाव में कमी लाकर व्यापार में वृद्धि करना था। गैट के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित प्रकार थे :

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिमाण में विस्तार करना;
- विश्व उत्पाद एवं उत्पादकता में वृद्धि करना;
- संसाधनों का विकास एवं पूर्ण उपयोग; तथा
- समग्र रूप से विश्व समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाना।

गैट निम्न सिद्धांतों पर आधारित था

i) गैर-भेदभाव पूर्ण तरीके से व्यापार किया जाय

ii) गैर-प्रशुल्कीय बाधाओं की समाप्ति

iii) पारस्परिक वार्तालाप द्वारा असहमतियों का समाधान

आम सहमति से बनी नीतियों के अनुसार, गैट प्रगति करता गया तथ विभिन्न चक्रों की वार्ताओं के द्वारा गैट ने अपने क्षेत्र में व्यापक रूप से विस्तार किया। गैट के अंतर्गत संपन्न विभिन्न चक्र एवं वार्ताएँ तालिका 11.1 में दी गयी हैं।

तालिका 11.1 : गैट एवं विश्व व्यापार संगठन के वार्तालाप चक्र

वर्ष	स्थान या चक्र का नाम	मुख्य विषय	सम्मिलित देशों की संख्या
1947	जिनेवा	प्रशुल्कों में कमी लाना	23
1949	एन्सी	प्रशुल्कों में कमी लाना	13
1951	टॉर्के	प्रशुल्कों में कमी लाना	38
1956	जिनेवा	प्रशुल्कों में कमी लाना	26
1960-61	डिलोन चक्र	प्रशुल्कों में कमी लाना	26
1964-67	कनेडी चक्र	प्रशुल्क एवं राशि पतन रोध उपाय	62
1973-79	टोक्यो चक्र	प्रशुल्क, गैर-प्रशुल्कीय बाधाएं	102
1986-94	उरुग्वे चक्र	प्रशुल्क, गैर-प्रशुल्कीय बाधाएं, सेवाएं, बौद्धिक संपदा अधिकार विवाद निपटारा, टैक्सटाइल्स, कृषि तथा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना	123
2001-	दोहा चक्र	कृषि, सेवाएं, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा, निवेश, पर्यावरण, विवाद निपटारा	147

उरुग्वे की बैठक में आठवें चक्र की वार्ताओं के बाद 123 देश विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने के लिए सहमत हुए। इसके परिणामस्वरूप, 1 जनवरी, 1995 को गैट के स्थान पर **विश्व व्यापार संगठन** की स्थापना की गयी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विटज़रलैंड) है। दोहा विकास चक्र (2001) विश्व व्यापार संगठन का पहला चक्र था।

विश्व व्यापार संगठन का एक अतिविशिष्ट तत्व इसकी स्व-शासी प्रकृति है। विश्व व्यापार संगठन चार्टर पर किसी देश के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर मात्र से उस देश के वे सभी विधिक प्रावधान निरस्त या संशोधित हो जाते हैं जो उक्त चार्टर से मेल नहीं खा रहे होते।

11.3 विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य

विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार हैं –

i) समझौते में उल्लिखित नवीन विश्व व्यापार प्रणाली का क्रियान्वयन करना;

ii) प्रत्येक देश के लिए लाभकारी विश्व व्यापार का प्रोन्नयन;

iii) अपनी विकास आवश्यकताओं के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के परिणामस्वरूप उत्पन्न लाभों की भागीदारी में विकासशील देशों के लिए बेहतर संतुलन सुनिश्चित करना;

iv) मुक्त विश्व व्यापार प्रणाली के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करना तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देना क्योंकि विश्व व्यापार आर्थिक संवृद्धि को गति प्रदान करने वाला एक प्रभावी उपकरण है।

v) व्यापार के सभी भागीदार देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना ताकि इससे उपभोक्ता लाभान्वित हो सके और वैश्विक एकीकरण में सहायता मिल सके;

vi) विश्व में रोज़गार के उच्चतर स्तर सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना;

vii) विश्व में उपलब्ध संसाधनों का विस्तार एवं सर्वोत्तम उपयोग करना;

viii) वैश्विक जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास में तेज़ी लाना।

विश्व व्यापार संगठन के मार्गदर्शी सिद्धांत

- गैर-विभेदकारी एवं नियम आधारित व्यापार प्रणाली, जहाँ विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को वही दर्जा मिले जो घरेलू या देशीय वस्तुओं और सेवाओं को मिलता है।
- व्यापार बाधाएं (प्रशुल्कीय एवं गैर-प्रशुल्कीय) समाप्त कर दी जाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्र हो।
- सबसे कम विकसित देशों को अधिमानी व्यापार शर्तें प्राप्त होनी चाहिए।

11.4 विश्व व्यापार संगठन का ढाँचा

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की भांति विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का निकाय नहीं है। इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यह सदस्य देशों की सहमति से स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य करता है। यह एक लोकतांत्रिक निकाय है, क्योंकि, इसमें ''एक राष्ट्र एक मत'' सिद्धांत का पालन किया जाता है।

विश्व व्यापार संगठन के संगठनात्मक ढाँचे के चार स्तर हैं–

प्रथम स्तर – मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC) संगठनात्मक ढाँचे का यह शीर्ष स्तर है यह सर्वोच्च निकाय है जो बहुपक्षीय व्यापार समझौतों पर अंतिम रूप से निर्णय लेता है। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2 वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य ही होता है।

द्वितीय स्तर – सामान्य परिषद (GC) सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सामान्य परिषद के सदस्य होते हैं। यह मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के नाम पर कार्य करती है तथा अपने कार्यों और निर्णय को मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को ही रिपोर्ट करती है। यह विवाद निपटारा निकाय एवं व्यापार नीति पुनरीक्षा के निकाय के रूप में भी कार्य करती है।

तृतीय स्तर– तीन परिषदें हैं –(i) वस्तु परिषद, (ii) सेवाएं परिषद, और (iii) बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े व्यापार संबद्ध पहलुओं की परिषद– ये तीनों परिषदें अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में कार्य करती हैं और सभी सामान्य परिषद को रिपोर्ट करती है। पुनः तीन समितियाँ हैं– (i) व्यापार एवं विकास समिति (TCID), (ii) भुगतान संतुलन प्रतिबंधों पर समिति (CBOPR), तथा (iii) बजट, वित्त एवं प्रशासन समिति (CBFA)। ये समितियाँ विश्व व्यापार संगठन के समझौते तथा सामान्य परिषद द्वारा सौंपे गए कार्यों को क्रियान्वित करती हैं।

चौथे स्तर – कुछ अन्य समितियाँ एवं कार्यकारी समूह हैं जो विशिष्ट विषयों पर कार्य करते हैं तथा उच्चस्तरीय परिषदों को सूचित करते हैं।

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन द्वारा महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है जो विश्व व्यापार संगठन सचिवालय का प्रधान है तथा प्रशासनिक दायित्वों को संभालता है। इसका कार्यकाल चार वर्ष का होता है। इसके अधीन 4 उपनिदेशक होते हैं जो अलग-अलग सदस्य देशों से आते हैं। महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन के वार्षिक बजट प्राक्कलनों एवं वित्तीय विवरणों को बजट, वित्त एवं प्रशासनिक समिति के समक्ष पुनरीक्षा एवं सामान्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली संस्तुतियों हेतु प्रस्तुत करता है।

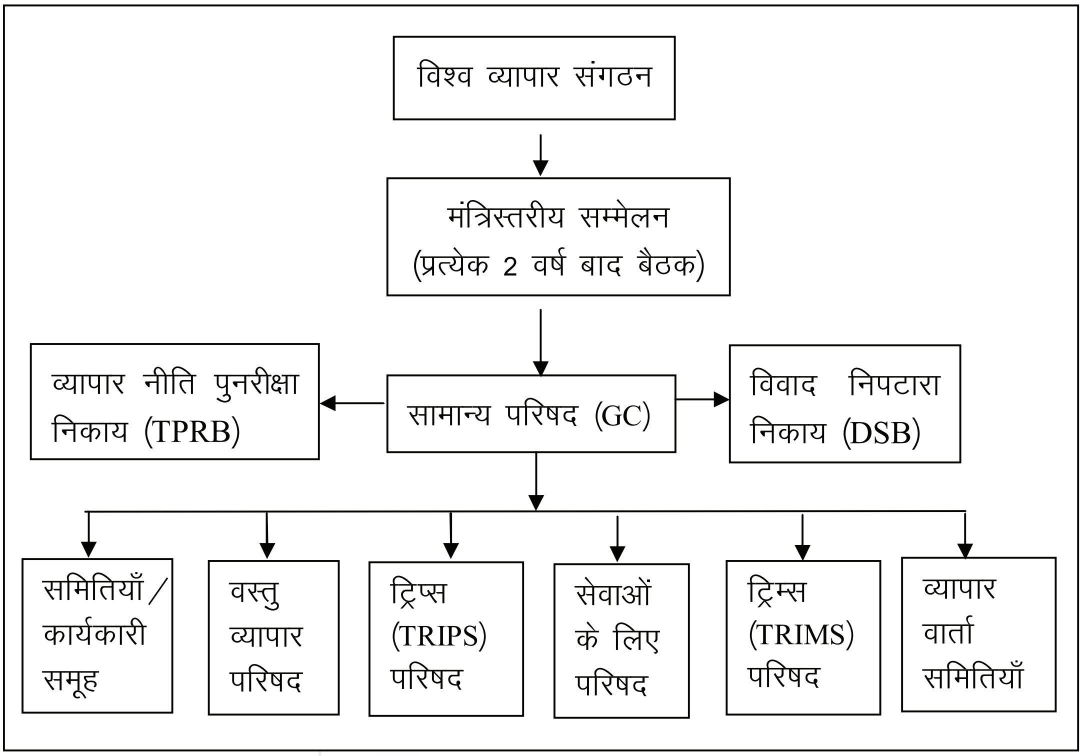

बोध प्रश्न 1

1) विश्व व्यापार संगठन क्या है?

....

....

....

2) प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) क्या था?

....

....

....

3) विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं मार्गदर्शी सिद्धांत बताइए।

....

....

....

4) विश्व व्यापार संगठन का संगठनात्मक ढाँचा क्या है?

....

....

....

11.5 व्यापार समझौते

विश्व व्यापार संगठन विभिन्न प्रकार के लगभग 60 समझौतों के संचलन कार्य को

देखता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधिक स्तर प्राप्त है। सदस्य देशों को विश्व व्यापार संगठन के सभी समझौतों पर हस्ताक्षर करके उनकी संपुष्टि करनी होती है। कतिपय महत्त्वपूर्ण समझौते नीचे दिए गए हैं।

11.5.1 सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS)

'सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता' उरुग्वे चक्र की वार्ताओं से अस्तित्व में आया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं के सभी व्यापार इस समझौते में शामिल हैं जैसे कि पर्यटन, दूर संचार, पेशेवर सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं आदि, लेकिन (i) सरकारी सेवाएं, (ii) वायु परिवहन सेवाएँ एवं यातायात अधिकार गैट्स के अंतर्गत नहीं हैं।

समझौते में सेवाओं में व्यापार के चार स्वरूप बताए गए हैं।

मोड 1 : सीमाओं के आर-पार आपूर्ति : किसी एक सदस्य देश की सीमाओं से किसी दूसरे सदस्य की सीमाओं में आपूर्ति की गयी सेवा जैसे अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल, बैंकिंग, डाक आदि।

मोड 2 : विदेशों में उपभोग : ऐसी सेवाओं के उपभोक्ता उपभोग करने के लिए एक देश से दूसरे देश में आते-जाते हैं। जैसे पर्यटन, चिकित्सा उपचार, शिक्षा आदि।

मोड 3 : व्यावसायिक सेवाएं : किसी दूसरे देश में सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुषंगी कंपनी या शाखाएं खोलना जैसे कि विदेशी बैंक द्वारा किसी अन्य सदस्य देश में अपनी शाखाएँ स्थापित करना।

मोड 4 : नैसर्गिक व्यक्ति की उपस्थिति : किसी सदस्य देश में सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी विदेशी व्यक्ति का प्रवेश।

सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते के अंतर्गत आपूर्ति के चार मोड

मोड		कसौटी/स्वरूप	आपूर्ति करने वाला व्यक्ति
मोड 1	सीमाओं के आर-पार आपूर्ति	किसी एक देश द्वारा किसी अन्य देश के भीतर सेवाएं प्रदान करना।	सीमाओं की आपूर्ति करने वाला निकाय या फर्म सदस्य, देश में स्वयं मौजूद नहीं होता
मोड 2	विदेशों में उपभोग	किसी सदस्य देश के बाहर किसी अन्य सदस्य देश के उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करना	
मोड 3	व्यावसायिक सेवाएं	आपूर्तिकर्ता की व्यावसायिक मौजूदगी के द्वारा सदस्य देश के भीतर सेवाएं प्रदान करना	सेवाएं प्रदान करने वाला सदस्य देश में मौजूद रहता है
मोड 4	नैसर्गिक व्यक्ति की मौजूदगी	एक नैसर्गिक व्यक्ति के रूप में मौजूदगी के द्वारा किसी अन्य सदस्य देश में सेवाएं प्रदान करना	

स्रोत : सेवाओं में व्यापार पर प्रारंभिक प्रतिबद्धता की सूची, गैट, MTN.GNS/W/164

11.5.1.1 गैट्स के सामान्य सिद्धांत

i) **परम अनुग्रहीत राष्ट्र (MFN)** : परम अनुग्रहीत राष्ट्र का सिद्धांत विश्व व्यापार संगठन की गैर-भेदभावकारी नीति पर आधारित है। परम अनुग्रहीत राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार विश्व व्यापार संगठन का प्रत्येक सदस्य देश संगठन के अन्य देश के साथ परम अनुग्रहीत राष्ट्र जैसा व्यवहार करता है। यदि कोई देश विश्व व्यापार संगठन के किसी एक देश को प्रशुल्क की नीची दर जैसी कोई विशिष्ट सुविधा देता है तो यही सुविधा उसे अन्य सभी देशों को भी देनी होती है।

ii) **पारदर्शिता** : यदि किसी सदस्य देश द्वारा किसी विद्यमान कानून, विनियमन एवं नियमों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल सेवाओं में व्यापार परिषद को देनी होती है। प्रत्येक सदस्य देश को अन्य सदस्यों के अनुरोध पर सूचना प्रदान करने के लिए पूछताछ केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता होती है।

iii) **बाज़ार पहुँच** : वार्ताओं के द्वारा अन्य सदस्य देशों को किसी क्षेत्र विशेष के लिए मुक्त बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए बाज़ार पहुँच कोई अनुग्रह नहीं है वरन् एक वचनबद्धता है। बाज़ार पहुँच की कुछ सीमाएं हैं। उदाहरणार्थ, कोई देश किसी विदेशी बैंक को अपने क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दे सकता है लेकिन राष्ट्रीय नीतिगत सिद्धांतों के अनुसार शाखाओं की संख्या को सीमित कर सकता है।

11.5.2 व्यापार संबद्ध निवेश उपाय (TRIMS)

व्यापार संबद्ध निवेश उपाय ऐसे नियम हैं जिन्हें कोई देश अपनी औद्योगिक नीति के एक भाग के रूप में विदेशी निवेशकों हेतु अपने घरेलू विनियमनों के रूप में लागू करता है। इस समझौते पर विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों के बीच आम सहमति थी। यह समझौता 1994 में पूर्ण हुआ तथा 1995 से लागू है। हालाँकि उस समय विश्व व्यापार संगठन औपचारिक रूप से अस्तित्व में नहीं आया था तथा इसका पूर्ववर्ती निकाय गैट ही मौजूद था। विश्व व्यापार संगठन 1995 में स्थापित किया गया।

घरेलू उद्योगों के हितों को प्रोन्नत करने तथा प्रतिबंधात्मक व्यवसाय प्रवृत्तियों को रोकने के लिए पारंपरिक रूप से प्रयुक्त स्थानीय रूप से उत्पादित सामग्रियों के प्रयोग की आवश्यकताओं और व्यापार को संतुलित करने वाले नियम जैसी नीतियाँ अब प्रतिबंधित हैं। व्यापार संबद्ध निवेश उपाय (TRIMS) विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत स्वीकार किए गए चार प्रमुख विधिक समझौतों में से एक है। व्यापार संबद्ध निवेश उपाय जो निवेश मामलों में घरेलू फर्मों को अधिमान देने को प्रतिबंधित करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय फर्में विदेशी बाज़ारों में अधिक सुगमतापूर्वक कार्य कर सकें।

व्यापार संबद्ध निवेश उपायों (TRIMS) के तत्व

1) विदेशी पूँजी पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करना।
2) विदेशी निवेशकों को घरेलू निवेशकों के समान ही अधिकार प्रदान करना।
3) निवेश के किसी भी क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं।
4) विदेशी निवेश के परिमाण पर कोई सीमा नहीं।
5) कच्चा माल एवं अन्य संघटकों के निर्बाध आयात की अनुमति देना।
6) स्थानीय उत्पाद और या सामान के उपयोग के बारे में विदेशी निवेशकों पर कोई जोर नहीं।
7) अंतिम उत्पाद के एक भाग को निर्यात करने की बाध्यता नहीं।
8) लाभांश एवं ब्याज तथा रॉयल्टी को मूल देश को प्रेषित करने पर बाधाएँ नहीं।
9) विनिर्माण में घरेलू माल के अंश में वृद्धि करने के लिए चरणबद्ध तरीके के विनिर्माण कार्यक्रम लागू किया जाना।

11.5.3 कृषि पर समझौता

कृषि पर समझौता विश्व व्यापार संगठन संघ का एक प्रमुख समझौता है। इस पर प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) की वार्ताओं में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था तथा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ ही यह समझौता भी 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ। इस समझौते के तीन स्तंभ हैं –

1) **घरेलू सहायता** : इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को खाद्य, उर्वरक, विद्युत, सिंचाई हेतु जल आदि के क्षेत्र में दी गयी सब्सिडी आती है। घरेलू सब्सिडी को तीन वर्गों में रखा गया है।

   i) **हरित बॉक्स (Green Box)** : विदेशी व्यापार पर प्रभाव न डालने वाली साहाय्यों को विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर समझौता के अंतर्गत हरित बॉक्स में रखा गया है क्योंकि ये व्यापार के स्वरूप को विकृत नहीं करती।

   ii) **पीत बॉक्स (Amber Box)** : इस वर्ग में ऐसे घरेलू सहायता उपायों को शामिल किया गया है जो उत्पादन एवं व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ऐसे समस्त सहायता भुगतान जिन्हें व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला माना जाता है तथा जो कतिपय सीमाओं एवं अनुशासन के तहत हैं, को पीत बॉक्स में रखा गया है। इन साहाय्यों/सहायता को धीरे-धीरे कम किया जाना है।

   iii) **नीला बॉक्स (Blue Box)** : इसमें ऐसे साहाय्य/सहायता भुगतानों को शामिल किया गया है जो कभी किए जाने वाले पीत बॉक्स में शामिल नहीं हैं। ऐसी सहायता उत्पादन को सीमित करने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में होती है।

2) **निर्यात सहायता (Export Subsidies)** : विकसित देशों द्वारा निर्यात सहायता को मूल्य या परिमाण के रूप में कम किया जाना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें एक सीमा से नीचे न जाएं और विकासशील देशों के निर्यातों को बाज़ार से बाहर नहीं धकेल दिया जाए। नैरोबी मंत्रिस्तरीय बैठक 2015 में इन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

3) **बाज़ार पहुँच** : बाज़ार पहुँच से तात्पर्य सभी सदस्य देशों द्वारा प्रशुल्कों में कमी लाकर तथा गैर-प्रशुल्कीय बाधाओं को हटाकर अपने घरेलू बाज़ारों को कृषि उत्पादों के आयातों हेतु खोल दिए जाने से है। देशों को यह भी करना चाहिए –

   क) **प्रशुल्कीकरण (Tariffication)** : ग़ैर-प्रशुल्कीय बाधाओं जैसे कि कोटा प्रणाली को प्रशुल्कों से प्रतिस्थापित करना।

   ख) **अपने प्रशुल्कों की सीमा निर्धारित करना (bind their tariffs)** : सदस्य देशों को अपनी प्रशुल्क दरों की एक सीमा (जो प्रायः ऊँची होती है) निर्धारित कर देनी चाहिए। प्रशुल्क की दरें इस सीमा से ऊपर नहीं जानी चाहिएं।

11.5.4 वस्त्र एवं परिधान व्यापार (Trade in Textile and clothing)

व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे चक्र में वस्त्र एवं परिधान व्यापार पर समझौते पर भी विचार-विमर्श किया गया था। इसके द्वारा 20 दिसंबर, 1973 को हस्ताक्षरित (बहु-फाइबर समझौते) टैक्सटाइल्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समझौते को प्रतिस्थापित कर दिया गया। वस्त्रों एवं कपड़ों में व्यापार समझौते के अंतर्गत उस समय मौजूद वस्त्र एवं परिधान व्यापार बाधाओं को अधिसूचित करने और विश्व व्यापार संगठन संधि लागू होने के 10 वर्षों के भीतर इन्हें समाप्त करने पर सहमति बनी। यह भी तय किया गया कि यह समझौता भी, सभी प्रकार के प्रतिबंधों की समाप्ति सहित 12वें वर्ष के प्रारंभ में समाप्त हो जाएगा। चूँकि 1 जनवरी, 2005 को समापन लागू हो गया है इसलिए उक्त समझौता अब प्रभावी नहीं है।

11.5.5 व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS)

व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकारों पर **समझौता** विश्व व्यापार संगठन के सदस्य

देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय विधिक समझौता है। यह **समझौता** वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं कलात्मक उपलब्धियों हेतु सार्वभौमिक विधिक संरक्षण प्रदान कराता है। सामान्य रूप से, इसे ट्रिप्स समझौता कहा जाता है। उरुग्वे चक्र की वार्ताओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से जोड़ा गया। ट्रिप्स समझौता भी 1 जनवरी, 1995 से प्रभावी है तथा विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों पर अनिवार्यतः लागू है।

बौद्धिक संपदा के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं –

- प्रतिलिप्याधिकार एवं तत्संबंधित अधिकार (अर्थात् ध्वनि रिकार्डिंग एवं प्रसारण संगठनों एवं प्रस्तुतियाँ देने वाले कलाकारों के अधिकार)
- ट्रेडमार्क (सेवाओं के मार्क सहित)
- मूल स्थान निर्दिष्ट सहित भौगोलिक सूचक
- औद्योगिक डिज़ाइन
- पादपों की नवीन प्रजातियों के संरक्षण सहित पैटेंट
- समेकित सर्किटों के ले-आउट डिज़ाइन (स्थलाकृतियाँ)
- व्यापार गोपनीयताओं सहित अप्रकट सूचनाएं
- परीक्षण डाटा

समझौते के प्रमुख तत्व

क) **मानक** : प्रत्येक सदस्य देश को संरक्षण का न्यूनतम मानक स्तर प्राप्त होगा। संरक्षण का प्रत्येक प्रमुख तत्व परिभाषित है। नामतः, विषय वस्तु संरक्षित है, अधिकार दिए जाएंगे तथा इन अधिकारों के अनुमन्य अपवाद भी दिए जाएंगे तथा संरक्षण की न्यूनतम अवधि भी होगी।

ख) **प्रवर्तन** : बौद्धिक संपदा अधिकार घरेलू उत्पादकों एवं उन्हें लागू करने वालों द्वारा प्रवर्तनीय है। समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन की सभी प्रक्रियाओं के सामान्य सिद्धांत निर्धारित कर दिए गए हैं।

ग) **विवादों का निपटारा** : बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवादों का निपटारा विवाद निपटारा निकाय द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त समझौते में कतिपय बुनियादी सिद्धांत भी निर्धारित किए गए हैं जैसे कि राष्ट्रीय एवं परम अनुग्रहीत राष्ट्र के रूप में व्यवहार एवं कुछ सदस्यों के लिए बाध्यताएं निर्धारित हैं, लेकिन विकासशील देशों को इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए अधिक समय दिया गया है।

11.5.6 विवादों का निपटारा

विवाद निपटारा सहमति के तहत व्यापार से जुड़े विवादों के निपटारे का तंत्र विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत उपलब्ध है। विवाद उस समय उत्पन्न होता है जब कोई देश यह महसूस करता है कि किसी अन्य देश ने विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत बनाए गए किसी समझौते का उल्लंघन किया है। विवाद निपटारा सहमति (Dispute Settlement Under standing) ने ऐसे नियमों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है जो उरुग्वे चक्र की वार्ताओं के बाद अंतिम रूप से बने समझौतों में आच्छादित मुद्दों से संबंधित विभिन्न विवादों के निपटारे की व्यवस्था करते हैं। विवाद निपटारा सहमति (DSU) ने विवाद निपटारा निकाय का सृजन किया है जिसमें विश्व व्यापार संगठन के सभी देश शामिल हैं। यही निकाय विवादों का निपटारा करता है। इसी निकाय ने विवादों के निपटारे की

सीमित समय सीमा निर्धारित की है तथा समझौते के विशिष्ट परिच्छेदों की व्याख्या करने के लिए अपीलीय प्रणाली भी स्थापित की है। यह निकाय राष्ट्रों द्वारा की गयी शिकायतों की अनदेखी किए जाने के मामलों को रोकने के लिए शिकायत निवारण समिति (पैनल) के स्वतः गठन तथा पैनल की रिपोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेने का कार्य करता है। व्यापार विवादों का निपटारा सदस्य राष्ट्रों के दो-तिहाई/तीन-चौथाई बहुमत से किया जाता है। गैट के अंतर्गत सर्व सहमति का प्रावधान था।

बोध प्रश्न 2

1) व्यापार संबद्ध निवेश उपाय (TRIMS) क्या है?

....

....

....

2) व्यापार संबद्ध बौद्धिक अधिकारों (TRIPS) से आप क्या समझते हैं।

....

....

....

11.6 विश्व व्यापार संगठन और भारत

भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक देशों में से एक है। यह विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में प्रमुख भूमिका निभाता है। 164 देशों की सदस्यता वाले विश्व व्यापार संगठन में भारत को परम अनुग्रहीत राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। भारत ने विवाद निपटारा प्रक्रिया में निष्पक्ष तरीके से सक्रिय भाग लिया है तथा सारे विश्व में मुक्त और उचित व्यापार के पक्ष में खड़ा रहा है। विश्व व्यापार संगठन समझौते के ढाँचे के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं। भारत के सेवा क्षेत्रक की अधिकांश कंपनियों की पहुँच विश्व बाज़ार तक बढ़ी है। इससे सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध क्षेत्रों एवं फार्मा, विशेष तौर पर जेनेरिक फार्मा उत्पादों के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक बाज़ार में अच्छी उपलब्धि हासिल की है।

विश्व व्यापार संगठन के फ्रेमवर्क को सुसाध्य बनाने के लिए भारत ने अपने अनेक कानूनों को विश्व व्यापार संगठन समझौतों के अनुरूप बनाया है। उदाहरणार्थ, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक (पंजीयन एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 आदि।

विश्व व्यापार संगठन में भारत की सक्रिय सहभागिता ने भारत को बेहतर संपन्नता की दिशा में आगे बढ़ाया है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश होने के नाते विश्व के अनेक देशों के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई है। इससे उत्पादन, रोज़गार एवं जीवन स्तर में सुधार हुए हैं तथा घरेलू और विश्व के संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन सचिवालय की रिपोर्टों तथा भारत सरकार के नीतिगत दस्तावेजों के अनुसार, भारत ने ऐसे अनेक व्यावसायिक सौदों को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है जो इससे पूर्व तक विकसित देशों के बीच में होते रहे हैं। इनमें दूर संचार, वित्तीय सेवाएं, परिवहन एवं विद्युत जैसी अधोरचना सुविधाएं आदि सेवा क्षेत्रकों पर आधारित बड़े सौदे शामिल हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि तथा प्रशुल्कों में कमी के परिणामस्वरूप विश्व के अनेक देश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिक जनित सेवाओं जैसे विशिष्ट उद्योगों में भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए तैयार हुए है। यदि विदेश व्यापार की यही प्रवृत्ति जारी रहती है तो 2025 तक भारत सॉफ्टवेयर एवं सेवा क्षेत्रक की विश्व की सभी बड़ी कंपनियों की माँग को पूरा करने में सक्षम होगा।

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत हस्ताक्षरित विभिन्न समझौतों के भारत के लिए निहितार्थ निम्नलिखित प्रकार हैं :

i) **सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS)** : इस समझौते के अंतर्गत प्रशुल्कीय एवं गैर-प्रशुल्कीय बाधाओं में कमी किए जाने से सेवाओं के वैश्वीकरण में भारत को एक बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिला। उदाहरणार्थ, भारत ने सेवाओं के वैश्विक बाज़ार में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया तथा बीमा, निर्माण एवं इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं सहित अनेक सेवा क्षेत्रकों में भारत को निर्यात संभाव्यताएं प्राप्त हो सकी हैं। ऐसा मुख्य रूप से प्रचुरता में उपलब्ध कुशल श्रमिकों की उपलब्धता से संभव हो सका है।

ii) **व्यापार संबद्ध निवेश उपाय (TRIMS)** : 1991 में जारी की गयी नई औद्योगिक नीति के बाद से भारत ने विदेशी निवेश के क्षेत्र में अनेक उदारीकरण के उपाय अपनाएं हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) तथा विदेशी पोर्ट-फोलियो निवेश (FPI) हेतु विनियमनों का सरलीकरण किया गया है। अब लगभग सभी सेवाओं में विदेशी निवेश अनुमन्य है।

iii) **व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS)** : विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार भारत को 2005 से ही अपनाने की बाध्यता थी लेकिन भारत को 10 वर्षों के भीतर (1995–2005) विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स प्रावधानों के अनुरूप अपने घरेलू कानूनों में संशोधन करने की संक्रमणकालीन अवधि प्राप्त हुई थी। फार्मास्यूटीकल्स जैसे क्रांतिक क्षेत्रों में उत्पाद पैटेंट व्यवस्था लागू नहीं होने के कारण भारत को नई व्यवस्था अपनाने के लिए पाँच वर्ष का अतिरिक्त समय भी मिला था। इस प्रकार, भारत ने अपने विद्यमान कानूनों में इस नई व्यवस्था के अनुरूप सुधार करने तथा संशोधन करने का कार्य किया।

पेटेंट संशोधन अधिनियम (2005), प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम (2010) जैसे अनेक अधिनियमों को संशोधित किया गया ताकि विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रावधानों के अनुरूप घरेलू विधिक कानूनों को सुदृढ़ किया जा सके। इसी प्रकार, देश की बौद्धिक संपदा व्यवस्था के उच्चीकरण हेतु अनेक नए कानून बनाए गए।

iv) **कृषि पर समझौता (AOA)** : अल्पकाल में कृषि पर समझौता भारत को कोई बहुत अधिक प्रभावित करने वाला नहीं है क्योंकि भारत में कृषि क्षेत्रक को घरेलू सहायता एवं निर्यात सब्सिडी ऋणात्मक है अर्थात् उत्पाद विशिष्ट घरेलू सहायता 10 प्रतिशत से भी कम है। इतना ही नहीं समझौते के अंतर्गत विकासशील देशों को प्राप्त सुरक्षा उपाय भारत को विश्व व्यापार में उदारीकरण के बड़े प्रभावों से संरक्षण प्रदान करते हैं। तथापि, दीर्घकाल में सस्ते श्रम से प्राप्त लाभों के कारण, भारत में किसी अन्य देश की तुलना में कृषि उत्पादन की लागत नीची है, इसलिए विकसित देशों की तुलना में नीची उत्पादकता के बावजूद चावल, चाय, सूरजमुखी तेल एवं कपास जैसी प्रमुख कृषि जिंसों की कीमतें भारत में विश्व कीमतों से नीची ही रहती हैं और रहेंगी। इसलिए कृषि जिंसों के आयात भारत में आकर्षक नहीं होंगे क्योंकि ऐसी आयातित वस्तुओं की घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से नीची ही रहती हैं। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी।

v) **वस्त्रों एवं परिधानों पर समझौता (ATC)** : ए.टी.सी. के बाद 1 जनवरी, 1995 से कोटा मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था लागू हो जाने का भारतीय वस्त्र एवं परिधान (T&C) निर्यातों पर धनात्मक प्रभाव ही पड़ा है। इतना ही नहीं देश के कुल निर्यातों में भी वृद्धि हुई है। इससे पुरानी व्यवस्था में निर्यात मुख्य रूप से सामानों और मध्यवर्ती उत्पादों (धागा एवं फैब्रिक) तक ही सीमित था। लेकिन अब

यह काफी बड़ी सीमा तक सिले-सिलाए और रेडिमेड वस्त्रों जैसे अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों की ओर बढ़ गया है। इसका इस क्षेत्र की श्रम प्रधान इकाइयों में रोज़गार के बढ़ते अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कोटा मुक्ति से प्रारंभ प्रक्रियाएँ ही अब विश्व वस्त्र-परिधान व्यापार का स्वरूप निर्धारित कर रही हैं।

11.7 सार-संक्षेप

उरुग्वे में प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के आठवें दौर की वार्ताओं पर आम सहमति बन जाने पर 123 देशों द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाने से विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी, 1995 से अस्तित्व में आ गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। समझौते में उल्लिखित नवीन विश्व व्यापार व्यवस्था कायम करना तथा प्रत्येक सदस्य देश को लाभ पहुँचाने वाले विश्व व्यापार को बढ़ाने में सहायक विश्व व्यापार समझौतों को प्रोन्नत करना विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य है। इसका संगठनात्मक ढाँचा चार स्तरीय है : मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, सामान्य परिषद, तीन परिषदें, समितियाँ एवं कार्यकारी समूह। विश्व व्यापार संगठन के समझौते सेवाओं में व्यापार पर समझौता, व्यापार संबद्ध निवेश उपाय, व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकारों पर समझौता, कृषि पर समझौता, वस्त्रों एवं परिधानों पर समझौता शामिल हैं। सदस्य देशों के बीच उत्पन्न होने वाले व्यापार विवादों के निपटारे हेतु विवाद निपटारा तंत्र विकसित किया है।

भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक देशों में से एक है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन समझौतों के अनुरूप अपने कानूनों को या तो संशोधित किया है या नए कानून बनाए हैं। भारत को 164 देशों के अंतर्राष्ट्रीय समूह में परम अनुग्रहीत राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते अब विश्व के अनेक देश भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। इससे भारत में उत्पादन, रोज़गार एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि हुई है।

11.8 संदर्भ-ग्रंथादि

1) Rao, M B, *WTO and International Trade*, New Delhi :Vikas, 2001.

2) World Trade Organization WTO dispute settlement procedures, Cambridge, 2001.

3) Chand, Ramesh, *Trade liberalisation*, WTO and Indian Agriculture, New Delhi :Mittal, 2002.

4) Katrak, Homi and Strange, Roger, Ed, *WTO and Developing Countries*, Hampshire: Palgrave, 2004.

5) Deol, O.S. (2016), *Twenty Years of World Trade Organization*, New Century Publication.

6) O.S. Deol (2016), *Twenty Year of World Trade Organization* (WTO) 1995-2015.

7) Ravishanker Kumar singh, R. Shashi Kumar (2008), *WTO and India Challenges and Opportunities* https:// wto.org

11.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) भाग 11.1 पढ़ें।

2) भाग 11.2 पढ़ें।

3) भाग 11.3 पढ़ें।

4) भाग 11.4 पढ़ें।

बोध प्रश्न 2

1) उपभाग 11.5.2 पढ़ें।

2) उपभाग 11.5.5 पढ़ें।

11.10 पाठांत प्रश्न

1) ऐसे कौन-से प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें विश्व व्यापार संगठन ने सदस्य देशों के बीच समझौतों को प्रशस्त किया है?

2) विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत विवाद निपटारा तंत्र क्या है? यह गैट की व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है?

3) भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभावों की व्याख्या कीजिए।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

शब्दावली

आर्थिक लाभ : फर्म के आगम में से आर्थिक लागत को घटाकर प्राप्त धनराशि।

आर्थिक लागत : आर्थिक लागत में लेखांकन लागत के साथ उत्पत्ति के साधन के अगले सर्वोत्तम विकल्प में प्राप्त प्रतिफल के समतुल्य अवसर लागत को शामिल किया जाता है।

आर्थिक लगान : किसी आगत के स्वामी को प्राप्त वह अतिरेक जो उसे आगत को किसी फर्म को प्रदान करने के लिए न्यूनतम धनराशि से ऊपर प्राप्त होता है।

अल्पकाल : वह अवधि जिसमें फर्म की कम से कम एक आगत (प्लांट का आकार) स्थिर है।

असामान्य लाभ (Supernormal profit) : जब कोई फर्म दीर्घकाल में संसाधनों को वर्तमान उपयोग में बनाए रखते हुए लाभ अर्जित करती है तो वह असामान्य लाभ होता है इस अवस्था में कीमत > औसत लागत।

अल्पाधिकार : सीमित प्रतिस्पर्धा की स्थिति, जिसके अंतर्गत बाज़ार बड़े उत्पादकों या विक्रेताओं द्वारा आपस में बाँट लिया जाता है।

असाधारण लाभ (Abnormal profit) : सामान्य लाभ से अधिक लाभ – जिसे असामान्य लाभ या एकाधिकारी लाभ भी कहा जाता है। फर्मों के प्रवेश में कठोर बाधाएँ होने के कारण एकाधिकारी फर्म द्वारा दीर्घकाल में अर्जित किया जाने वाला लाभ असाधारण लाभ होता है।

अतिरिक्त क्षमता : अतिरिक्त क्षमता एक ऐसी स्थिति है जहाँ फर्म का वास्तविक उत्पादन उसके द्वारा उत्पादित किए जा सकने वाले उत्पादन (अनुकूलतम/आदर्श उत्पादन) से कम होता है। इसका अर्थ कभी-कभी इससे भी लगाया जाता है कि उत्पाद की वास्तविक माँग उस स्तर से कम है जिसे कि व्यवसाय आपूर्ति करने की क्षमता रखता है।

अंतरण आय : किसी साधन को वर्तमान रोज़गार में रोके रखने के लिए पर्याप्त न्यूनतम भुगतान इसे अन्य सर्वोत्तम रोज़गार में प्राप्त हो सकने वाली आय के रूप में भी व्यक्त किया जाता है।

अपूर्ण प्रतियोगिता : अपूर्ण प्रतियोगिता उस समय उत्पन्न होती है जब किसी बाज़ार में, प्राक्कल्पिक या वास्तविक रूप से नवप्रतिष्ठित विशुद्ध या पूर्ण प्रतियोगिता के किसी अभिलक्षण या तत्व का उल्लघंन किया जाता है।

अपूर्ण सूचना : अपूर्ण सूचना एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी लेन-देन से संबंधित पक्षों के पास भिन्न-भिन्न प्रकार की सूचना होती है। जैसे कि किसी पुरानी कार के विक्रेता के पास अपनी कार के बारे में क्रेता की तुलना में अधिक सूचना होती है।

अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण : अर्थशास्त्र में उत्पादन के अनुकूलतम मिश्रण को उपलब्ध संसाधनों, प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक मूल्यों के साथ उत्पादन के सर्वाधिक वांछित संयोगों के रूप में व्यक्त किया जाता है।

अपूर्ण सूचना : ऐसी स्थिति जब किन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में क्रेताओं और विक्रेताओं के पास उपलब्ध सूचना में एकरूपता नहीं होती।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार : दो विभिन्न राष्ट्रों के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है।

आवंटनात्मक दक्षता (Allocative efficiency) : उपभोक्ताओं की माँग पर वस्तुओं/सेवाओं का उत्पादन उस कीमत पर करना जो पूर्ति की सीमांत लागत को दर्शाती है।

आवंटनात्मक दक्षता : आवंटनात्मक दक्षता किसी अर्थव्यवस्था के लिए वह अवस्था है जहाँ उत्पादन उपभोक्ता प्राथमिकताओं को इस प्रकार व्यक्त करता है कि प्रत्येक वस्तु एवं सेवा का उत्पादन उस बिंदु या स्तर तक किया जाता है जहाँ अंतिम इकाई उपभोक्ताओं को जो सीमांत लाभ प्रदान करती है वह उत्पादन की सीमांत लागत के बराबर होता है। एकल कीमत मॉडल में आवंटनात्मक दक्षता के बिंदु पर वस्तु अथवा सेवा की कीमत उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है।

आभासी लगान : किसी साधन की औसत लागत से ऊपर उत्पत्ति के किसी साधन को प्राप्त होने वाली आय। यह एक अल्पकालीन अवधारणा है।

उत्पाद विभेद : सामान्य तौर पर एक-दूसरे से मिलती-जुलती लेकिन किसी न किसी आधार पर भिन्नता रखने वाली वस्तुओं की बिक्री। उपभोक्ताओं को इन्हीं में से अपनी पसंद तय करनी होती है।

उत्पादक दक्षता : उत्पादक दक्षता एक ऐसा आर्थिक स्तर है जहाँ अर्थव्यवस्था में किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में कमी लाए बिना किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती। यह स्थिति उसी अवस्था में उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था उत्पादन संभावना सीमा पर होती है।

उत्पादन संभावना वक्र : किसी अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं/सेवाओं के उन संयोजनों को व्यक्त करने वाला वक्र जिन्हें समाज अपने संसाधनों के दक्षतापूर्ण प्रयोग करते हुए उत्पादित कर सकता है।

एकाधिकार : वस्तु के कोई निकट स्थानापन्न नहीं होने की दशा में किसी वस्तु का एकमात्र उत्पादक (विक्रेता) होना।

एकाधिकारिक प्रतियोगिता : अनेक फर्में एक-दूसरे से मिलता-जुलता लेकिन विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जो एक-दूसरे के निकट स्थानापन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में, अधिक संख्या में विक्रेता फर्म लगभग एक जैसी (लेकिन एकसमान नहीं), वस्तुएँ बेचती हैं तथा कीमत और अन्य कारकों में एक-दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं।

एम.आर.पी. : सीमांत आगम उत्पाद अर्थात् सीमांत आगम एवं साधन के सीमांत उत्पाद का गुणनफल।

कीमत विभेद (Price discrimination) : जब कोई फर्म लागत से कोई संबंध न होते हुए भी उत्पादित वस्तु अथवा सेवा की अलग-अलग क्रेताओं से अलग-अलग कीमत वसूलती है तो उसे कीमत विभेद की संज्ञा दी जाती है।

कैदी की दुविधा : द्यूत सिद्धांत में एक ऐसी स्थिति जिसमें दो खिलाड़ियों के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं जिनका परिणाम एक दूसरे द्वारा एक साथ लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। इसे प्रायः दो कैदियों द्वारा अपराध को स्वीकार कर लेने या न करने के रूप में व्यक्त किया जाता है।

कूर्नो प्रतिमान : अल्पाधिकार का कूर्नो प्रतिमान इस मान्यता पर आधारित है कि दो प्रतिस्पर्धी फर्में एक जैसी वस्तु का उत्पादन करती हैं तथा यह निर्धारित कर कि कितना उत्पादन करना है अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। सभी फर्में अपने द्वारा किए जाने वाले उत्पादन की मात्रा का निर्धारण एक साथ करती हैं।

कीमत अनुपात या सापेक्षिक कीमत : किसी वस्तु की कीमत जो किसी अन्य वस्तु की कीमत के सापेक्ष व्यक्त की जाती है। सापेक्षिक कीमत को प्रायः दो कीमतों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है।

कीमत सीमा : सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देना।

गै़र-सहयोगात्मक व्यवहार : अल्पाधिकार को सर्वोत्तम रूप में बाज़ार के भीतर उसके वास्तविक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। सकेंद्रीकरण अनुपात उस स्तर या सीमा का माप करता है जहाँ तक बाज़ार की कुछ फर्मों के बीच कोई एक फर्म प्रभुत्व रखती है। यह फर्में जब आपस में मिलकर कार्य करने के लिए समझौता कर लेती हैं तो उसे अल्पाधिकारी बाज़ार में सहयोगात्मक व्यवहार के रूप में जाना जाता है।

गैर-अपवर्जनीयता : भुगतान न करने वाले किसी भी उपभोक्ता को उपयोग करने से वंचित न किए जाने की स्थिति।

गैर-प्रतिद्वंद्वी : जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का उपभोग किए जाने से किसी अन्य के हिस्से में कोई कमी नहीं होती।

तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर : प्रतिस्थापन की दर या प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जहाँ किसी अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन (सीमांत इकाई) करने के लिए किसी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। यह मानकर चला जाता है कि दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एक जैसे दुर्लभ आगतों का प्रयोग किया जाता है। रूपांतरण की सीमांत दर उत्पादन संभावना सीमा (PPF) से संबद्ध है जो समान संसाधनों को प्रयुक्त करते हुए दो वस्तुओं के संभाव्य उत्पादन को व्यक्त करता है।

तुलनात्मक लाभ : किसी देश A को वस्तु x के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है यदि घरेलू स्तर पर उसकी लागत किसी अन्य देश में उसी वस्तु की लागत की तुलना में कम है।

दीर्घकाल : वह अवधि जिसमें प्लांट की क्षमता सहित सभी आगतें परिवर्तनशील हैं।

न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम : सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के रोज़गारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी से संबंधित कानून।

निःशुल्क सवारी : किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या सेवा का मूल्य चुकाए बिना उसका उपयोग करना।

नैतिक द्वंद्व : किसी दूसरे पक्ष से जानबूझ कर कुछ सूचना का छुपाया जाना।

पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार : एक बाज़ार पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाज़ार है यदि इससे अनेक उपभोक्ता एवं अनेक फर्में हैं, किसी के पास भी बाज़ार का कोई बड़ा हिस्सा नहीं है, सभी फर्में एक जैसी वस्तु का उत्पादन करती हैं, बाज़ार में प्रवेश करने तथा बाज़ार से बाहर निकलने में कोई बाधा नहीं है तथा उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को बाज़ार की पूरी जानकारी है।

पॉल स्वीज़ी का कोनेदार मांग वक्र : कोनेदार माँग वक्र का सिद्धांत अल्पाधिकार एवं एकाधिकारिक प्रतियोगिता का एक आर्थिक सिद्धांत है।

प्रतिकूल चयन : जब असमान सूचना के चलते किसी सौदे का एक पक्ष को अर्द्ध अनुकूलतम चयन करना पड़ता है।

ब्याज : पूँजी के उपयोग हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि ब्याज ही ब्याज वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त की जाने वाली मानव निर्मित वस्तुओं (मशीनों) के लिए भुगतान किया जाता है।

बाह्यताएँ : किसी अर्थव्यवस्था में बाह्यताएँ उस समय उत्पन्न होती हैं जब उत्पादन या उपभोग किसी ऐसे तीसरे पक्ष को प्रभावित करता है जिसका ऐसे उत्पादन या उपभोग से कोई संबंध नहीं होता।

बाज़ार अपूर्णताएँ : बाज़ार की ऐसी दशाएं जो पूर्ण प्रतियोगिता के अनुरूप नहीं हैं।

बाज़ार विफलताएँ : अर्थव्यवस्था में संसाधनों के दक्ष आवंटन को प्राप्त करने में लिए बाज़ार तंत्र की विफलता।

मज़दूरी : तकनीकी विशेषज्ञता और शारीरिक श्रम के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु किए गए मानव प्रयास के रूप में श्रमिक को भुगतान किए जाने वाले पारितोषक को मज़दूरी कहते हैं।

लगान : भूमि के उपयोग हेतु किए जाने वाले भुगतान को लगान कहते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले समस्त प्राकृतिक संसाधन भूमि के अंतर्गत आते हैं।

लाभ : उत्पादन प्रक्रिया में अपने संगठन एवं कौशल के उपयोग तथा जोखिम वहन करने के लिए उद्यमी को प्राप्त होने वाला पारितोषक लाभ है।

व्यापार संगुट : प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित रखकर कीमतों को ऊँचा रखने के उद्देश्य से विनिर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं का संघ।

व्युत्पन्न माँग : उत्पत्ति के साधनों की माँग इसलिए की जाती है क्योंकि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग की जाती है। इसलिए साधनों की माँग व्युत्पन्न माँग है।

वी.एम.पी. : सीमांत उत्पाद का मूल्य अर्थात् कीमत एवं साधन के सीमांत उत्पाद का गुणनफल।

वाणिज्यवाद : व्यापार का यह सिद्धांत बताता है कि देश को निर्यातों को बढ़ावा देना चाहिए तथा आयातों को हतोत्साहित करना चाहिए। वाणिज्यवादियों का तर्क था कि राष्ट्र अपने निर्यातों में वृद्धि करके तथा आयातों में कमी लाकर ही बहुमूल्य धातुओं (सोना) के रूप में अधिकाधिक संपत्ति संचित कर सकता है।

सामान्य लाभ	:	सामान्य लाभ एक ऐसी आर्थिक दशा है जो उस समय उत्पन्न होती है जबकि फर्म के कुल आगम एवं कुल लागत के बीच का अंतर शून्य होता है। सरल शब्दों में, किसी फर्म को बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए आवश्यक लाभ ही सामान्य लाभ है।
सहयोगात्मक व्यवहार	:	सहयोगात्मक अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ ही उत्पादक होते हैं जो संसाधनों का आवंटन आपस में करने तथा उत्पादन की कीमत निर्धारित करने के लिए आपस में सहयोग करते हैं। व्यापार संगुट, सहयोगात्मक अल्पाधिकार का एक उदाहरण है।
स्टैकिलबर्ग प्रतिमान	:	स्टैकलबर्ग प्रतिमान अर्थशास्त्र में एक रणनीतिक द्यूत है जिसमें नेतृत्व करने वाली फर्में पहले चाल चलती हैं अर्थात् निर्णय लेती हैं जिसके क्रम में अन्य फर्में निर्णय लेती हैं। स्टैकलबर्ग संतुलन बनाए रखने में आगे बाधाएं आती हैं।
सीमांत (भौतिक उत्पाद)	:	उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए किसी एक साधन की एक अतिरिक्त इकाई को काम पर लगाने से उत्पादित मात्रा में हुआ परिवर्तन।
सीमांत आगम उत्पाद	:	सीमांत भौतिक उत्पाद में सीमांत आगम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल।
संसाधनों का दक्ष आवंटन	:	आगतों, उत्पादन और उत्पादन का ऐसा वितरण जो अर्थव्यवस्था में किसी परिवर्तन से किसी भी व्यक्ति को खराब स्थिति में पहुँचाएं बिना किसी अन्य व्यक्ति को बेहतर स्थिति में न पहुँचा पाए (समभाव वक्र चित्र द्वारा मापित)।
समभाव वक्र या उपयोगिता सीमा	:	एक समभाव वक्र दो आर्थिक वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को इंगित करता है जिन पर उपभोक्ता का व्यवहार समभावपूर्ण रहता है, भले ही वह कोई भी संयोग चुन ले।
समोत्पाद वक्र	:	समोत्पाद वक्र एक ऐसा ग्राफ है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर सभी आगतों के संयोग वस्तु की एकसमान मात्रा उत्पादित करते हैं।
सीमांत प्रतिस्थापन दर	:	प्रतिस्थापन की सीमांत दर ऐसी दर है जिस पर कोई उपभोक्ता किसी एक वस्तु की मात्रा को किसी दूसरी वस्तु की मात्रा से प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है, उस सीमा तक जब तक कि ऐसा करने से उसकी संतुष्टि का स्तर एक समान रहे। इसे समभाव वक्र सिद्धांत में उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
सार्वजनिक वस्तुएं	:	सार्वजनिक वस्तु एक ऐसा उत्पाद है जिसका किसी एक व्यक्ति द्वारा उपभोग किसी अन्य द्वारा किए जाने वाले उपभोग को कम किए बिना किया जा सकता है, तथा किसी को भी ऐसे उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थशास्त्री ऐसी विशेषताओं को गैर-प्रतिद्वंद्वात्मकता (Non-rivalrous) तथा गैर-अपवर्जिता (Non-excludable) कहते हैं।
सार्वजनिक वस्तुएँ	:	ऐसी वस्तुएँ एवं सेवाएँ जिनके उपयोग से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता एवं किसी एक व्यक्ति द्वारा ऐसी वस्तुओं/सेवाओं का उपयोग किए जाने से इन्हीं वस्तुओं/सेवाओं के उपयोग में किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कमी नहीं आती।

सार्वजनिक हस्तक्षेप	:	वस्तुओं, सेवाओं एवं अन्य कारकों के लिए बाज़ार में सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य।
सार्वजनिक प्रावधान	:	सरकारी अधिकारियों/निकायों द्वारा सामाजिक दृष्टि से वांछित एवं महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ एवं सेवाएँ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाना।
सामूहिक संसाधन	:	जहाँ किसी संसाधन का कोई स्वामी नहीं होता लेकिन जिनके प्रयुक्तकर्ता अनेक होते हैं।
साधन संपन्नता	:	किसी देश के पास भूमि, श्रम और पूँजी आदि जैसे साधनों की उपलब्धता।
श्रम संघ	:	अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु श्रमिकों का एक मान्यता प्राप्त संगठन।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) Kautsoyiannis, A. (1979), *Modern Micro Economics*, London: Macmillan.

2) Lipsey, RG (1979), *An Introduction to Positive Economics*, English Language Book Society.

3) Pindyck, Robert S. and Daniel Rubinfield, and Prem L. Mehta (2006), *Micro Economics*, An imprint of Pearson Education.

4) Case, Karl E. and Ray C. Fair (2015), *Principles of Economics*, Pearson Education, New Delhi.

5) Stiglitz, J.E. and Carl E. Walsh (2014), *Economics*, viva Books, New Delhi.

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY